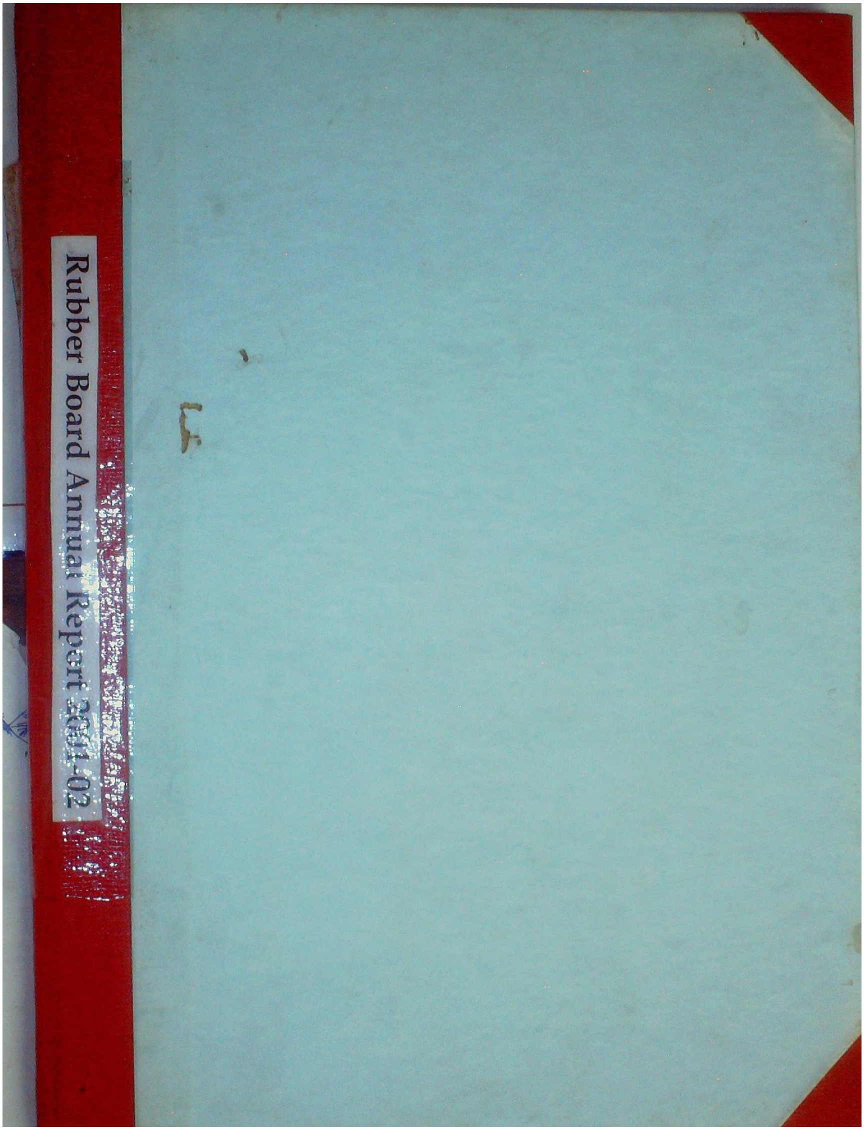
Rubber Board Annual Report 2001-02

भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान
Rubber Research Institute of India
पुस्तकालय / LIBRARY
क्रो......... सं./Acc. No. 243185
दिनांक/Date: 3/5/18
हस्ताक्षर/Initials

वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 2001-2002

रबड़ बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

कीषुकुन्नु, कोट्टयम - 686 002

भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान
Rubber Research Institute of India
पुस्तकालय/LIBRARY
24318 I
क्र......ACC. NO.
दिनांक/Date: 3/5/18
हस्ताक्षर/Initials

अनुक्रमणिका

क्रम सं.		विवरण	पृष्ठ सं.
01	भाग I	प्रस्तावना	01
02	भाग II	रचना और कार्य	03
03	भाग III	रबड़ उत्पादन	07
04	भाग IV	प्रशासन ➢ स्थापना ➢ विपणन ➢ श्रमिक कल्याण ➢ विधिक ➢ हिंदी ➢ प्रचार एवं जन संपर्क ➢ सतर्कता ➢ आन्तरिक लेखा परीक्षा	16
05	भाग V	रबड़ अनुसंधान	29
06	भाग VI	प्रसंस्करण एवं उपज विकास	33
07	भाग VII	प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श	37
08	भाग VIII	वित्त एवं लेखा	42
09	भाग IX	अनुज्ञापन व उत्पाद शुल्क	45
10	भाग X	साँख्यिकी एवं योजना	54
11	भाग XI	साँख्यिकीय सारणियाँ	56
12	-	बोर्ड के सदस्यों की सूची	62

2001-2002 के लिए रबड़ बोर्ड के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट

*****

भाग - I

प्रस्तावना

भारत सरकार ने रबड़ अधिनियम 1947 के अधीन देश में रबड़ खेती उद्योग के विकास के प्राथमिक लक्ष्य से कोरपोरेट निकाय के तौर पर रबड़ बोर्ड की गठन की । "हीविया ब्रासीलियनसिस" द्वारा उत्पादित लाटेक्स से संसार के सर्वाधिक बहु उपयोगी कच्चे माल के रूप में जाननेवाला स्वाभाविक रबड़ प्राप्त होता है । इस कच्चे माल का उपयोग भारत में करीब 35000 उत्पादों के निर्माण में किया जाता है तथा राष्ट्र के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में इसकी अपार देन है । बोर्ड ने विकास एवं विस्तार की एक श्रृंखला की संस्थापना की तथा जिसके फलस्वरूप क्षेत्र के विस्तार, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के क्षेत्रों में रबड़ बागान क्षेत्र के सभी स्तरों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है । साथ ही साथ अनुसंधान एवं विकास को इसका प्रणोद क्षेत्र माना तथा रबड़ के जैविकीय एवं प्रौद्योगिकीय सुधार हेतु अनुसंधान चलाने के लक्ष्य से बोर्ड ने 1955 में भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान की संस्थापना की ।

बोर्ड इसके प्रारंभ से ही रबड़ की वैज्ञानिक खेती का प्रोत्साहन देता आ रहा है तथा छठी योजना अवधि से रबड़ बागान विकास योजना नामक रबड़ बागान हेतु एक एकीकृत योजना रबड़ के नवरोपण एवं पुनर्रोपण प्रोत्साहित करने हेतु प्रचालित हैं तथा इसे सर्वाधिक सफल योजनाओं में एक माना जाता है । इसके अलावा उत्पादकता में वृद्धि लाने, वैयक्तिक एवं सामूहिक प्रयासों से गुणवत्ता में सुधार लाने, कृषकों के मूल स्तरीय संगठन बनाने हेतु सुविधा प्रदान करना तथा रबड़ खेती द्वारा स्थायी विकास सुनिश्चित करने में सशक्त करने के लिए कृषकों को विकास एवं विस्तार समर्थन दिया जाता है । गैर-पारंपरिक क्षेत्र विशेषकर उत्तर-पूर्वी राज्यों में रबड़ बागानों की वृद्धि दर में उल्लेखनीय उपलब्धी हासिल की है । जहाँ एकीकृत दृष्टिकोण स्वीकृत करके रबड़ विकास कार्य चलाये गये थे । उत्तर-पूर्व एवं उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक व केरल जैसे अन्य राज्यों के आदिवासी परिवर्तन कृषकों के लिए कार्यान्वित रबड़ आधारित व्यवस्थापन कार्यक्रमों का विशेष जिक्र करना अति आवश्यक है जो उनके सामाजिक आर्थिक विकास/परिस्थिति को बनाये रखना सुनिश्चित करते भी है ।

रबड़ उत्पाद विनिर्माण क्षेत्र को समर्थन देकर, दक्षता में वृद्धि हेतु एवं अवसंरचना विकास हेतु सहायता प्रदान कर स्वाभाविक रबड़ के विभिन्न उपयोगों तथा अपारंपरिक उपयोगों को प्रोत्साहित करने हेतु बोर्ड अन्य कई उपाय भी अपनाते हैं ।

etlcfj j/r'T cH'1'1 3fR 3

विश्व के सर्वाधिक फसल देनेवाले क्लोनों में एक एवं लोक प्रिय क्लोन आर आर आई आई 105 का प्रजनन एवं निर्मुक्त करना भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान की उल्लेखनीय देन है । पाँच और क्लोनों को विकसित करने हेतु अनुसंधान कार्य अंतिम चरण में है जिन्हें निकट भविष्य में निर्मुक्त किया जाएगा । "हीविया" की विभिन्न कृषि प्रणालियों पर कृषि प्रौद्योगिकियाँ भी भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान ने विकसित की है । संस्थान ने रबड़ प्रसंस्करण को सुधारने तथा कृत्रिम रबड़ का प्रभावी रूप से प्रतिस्थापन करने लायक विशेष रबड़ विकसित करने में भी उल्लेखनीय देन की है । प्रसंस्करण फैक्टरियों में प्रदूषण रोकने हेतु विशेष परिस्थिति सुरक्षा प्रणालियों, प्रसंस्करण में ऊर्जा बचाने की विधि, रबड़ काष्ठ के प्रसंस्करण, सहायक आय पैदा करने के कार्यकलाप एवं रबड़ आधारित फसल प्रणालियों पर अनुसंधान के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं ।

वर्ष 2001-02 के दौरान निष्पादन

वर्ष 2001-02 के दौरान स्वाभाविक रबड़ का उत्पादन 631,400 टण रहा जबकि वर्ष 2000-2001 के दौरान यह 630,405 टण रहा । वर्ष 1999-2000 की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत की तुलना में स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि की दर वर्ष 2000-01 में 1.3 प्रतिशत रही जो फिर से घटकर 2001-02 में 0.2 प्रतिशत हो गयी ।

स्वाभाविक रबड़ के उपभोग की वृद्धि वर्ष 2001-02 के दौरान 1.1 प्रतिशत रही जबकि यह वर्ष 2000-01 के दौरान 0.5 प्रतिशत तथा वर्ष 1999-2000 के दौरान 6.2 प्रतिशत रही । वर्ष 2000-01 के दौरान के 631,475 टण के विरुद्ध वर्ष 2001-02 के दौरान का कुल स्वाभाविक रबड़ उपभोग 6.2 प्रतिशत रहा । वाहन टायर उत्पादन क्षेत्र में स्वाभाविक रबड़ के उपभोग में वर्ष 2001-02 के दौरान कमी हुई जो 0.4 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष यह 1.7 प्रतिशत रही । इसके विपरीत सामान्य रबड़ माल क्षेत्र में उपभोग दर वर्ष 2000-01 के 2.7 प्रतिशत की तुलना में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की ।

भाव

भारत सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना दिनांक 12 सितंबर 2001 द्वारा आर एस एस 4 एवं आर एस एस 5 श्रेणी के रबड़ का संवैधानिक निम्नतम भाव प्रति क्विंटल क्रमशः 3209 रु.तथा 3079 रु. निर्धारित किए । आर एस एस 4 श्रेणी के रबड़ का वार्षिक औसत भाव प्रति क्विंटल वर्ष 2000-01 के 3036 रुपये के स्थान पर 3228 रु. था ।

xxxxxxx

भाग - II
रचना एवं कार्य

बोर्ड की रचना

रबड़ अधिनियम1947 की धारा 4(3) के अनुसार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे ।

क) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष ।

ख) तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हुए दो सदस्य होंगे, जिनमें एक रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा ।

ग) केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए 8 सदस्य होंगे, जिनमें छः रबड़ उत्पादनहित का प्रतिनिधित्व करेंगे और उन व्यक्तियों में तीन छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दस सदस्यों को मनोनीत करेंगे जिनमें से दो विनिर्माताओं एवं चार श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

ङ) संसद के तीन सदस्य होंगे जिनमें लोकसभा द्वारा दो सदस्यों को और राज्य सभा द्वारा एक सदस्य को चुन लिये जाएंगे ।

च) कार्यपालक निदेशक (पदेन); और

छ) रबड़ उत्पादन आयुक्त (पदेन)

कार्यपालक निदेशक का पद अभी तक नहीं भरा गया है ।

31.3.2002 के अनुसार बोर्ड के सदस्यों की सूची रिपोर्ट के अंत में दी गयी है ।

बोर्ड के प्रकार्य

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8 में बताए गए बोर्ड के प्रकार्य हैं:-

(i) **रबड़ उद्योग के विकास जैसे उचित समझता है वैसे उपायों से प्रोत्साहित करना । इस के लिए इन उपायों का प्रबंध करना है-**

क) वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान चलाना, सहायता देना या प्रोत्साहित करना;

ख) छात्रों को रोपण, कृषि, खाद देने एवं छिडकाव की उन्नत रीतियों का प्रशिक्षण देना;

ग) रबड़ उत्पादकों को तकनीकी सलाह प्रदत्त करना;

घ) रबड़ विपणन का सुधार;

ड.) एस्टेट मालिकों, व्यापारियों और विनिर्माताओं से सांख्यिकी का एकत्रण करना;

च) श्रमिकों को काम करने हेतु बेहतर सुविधा व व्यवस्था सुनिश्चित करना, तथा उनकी सुख सुविधाओं व प्रोत्साहनों का सुधार करना; तथा

छ) बोर्ड के अधिकार में दिये गए किसी भी अन्य कार्यों का निर्वहण करना ।

(ii) बोर्ड का यह भी कार्य होगा

क) रबड़ के आयात और निर्यात सहित रबड़ उद्योग के विकास से संबंधित सारे मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना;

ख) रबड़ से संबंधित किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या योजना में भाग लेने के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना ।

ग) इस अधिनियम के कार्यों एवं बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में केन्द्र सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को जैसा निर्धारित हो, अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा

घ) समय समय पर केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार रबड़ उद्योग से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना और उसे पेश करना ।

रबड़ अधिनियम की धारा 8 में कथितानुसार बोर्ड के कार्यकलापों व प्रकार्यों की तुलनात्मक पुनरीक्षा हेतु सात समितियाँ गठित की गई हैं । ये हैं:- कार्यकारिणी समिति, अनुसंधान एवं विकास समिति, विपणन विकास समिति, रोपण समिति, सांख्यिकी एवं आयात/निर्यात समिति, श्रमिक कल्याण समिति और कर्मचारी कार्य समिति ।

बोर्ड ने 3.11.2001 को तमिलनाडु राज्य चुनाव क्षेत्र के बडे रबड़ कृषकों के प्रतिनिधित्व करनेवाले श्री ए.जेकब को 02.11.2002 तक की अवधि के लिए उपाध्यक्ष चुन लिया गया ।

श्री एस.एम.डसलफिन भा.प्र.से. वर्ष 2001-02 के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जारी रहे।

बोर्ड एवं समितियों की बैठक

रिपोर्ट वर्ष के दौरान बोर्ड और समितियों की निम्न लिखित बैठकें हुईं ।

क)	बोर्ड की बैठकें	142वीं बैठक - 23.06.2001 143वीं बैठक - 03.11.2001

इसके अलावा बोर्ड की दो विशेष बैठकें 21.07.2001 को तथा 13.10.2001 को आयोजित कीं ।

ख) समिति बैठकें

◆ रोपण समिति	19.04.2001
◆ अनुसंधान एवं विकास समिति	20.04.2001
◆ श्रमिक कल्याण समिति	21.04.2001
◆ सांख्यिकी एवं आयात/निर्यात समिति	21.04.2001 एवं 15.02.2002
◆ कार्यकारिणी समिति	21.08.2001
◆ कर्मचारी कार्य समिति	16.03.2002

संगठनात्मक रचना

रबड़ बोर्ड के कार्यकलापों का आठ विभागों द्वारा निष्पादन किया जाता है याने रबड़ उत्पादन, प्रशासन, रबड़ अनुसंधान, प्रसंस्करण एवं उपज विकास, प्रशिक्षण व तकनीकी परामर्श, वित्त एवं लेखा, सांख्यिकी एवं योजना और अनुज्ञप्ति एवं उत्पाद शुल्क । इन विभागों के मुख्य क्रमशः रबड़ उत्पादन आयुक्त, सचिव, निदेशक (अनुसंधान), निदेशक (प्र व उ वि), निदेशक (प्र व त प), निदेशक (वित्त), संयुक्त निदेशक (सां व यो) और निदेशक (अनु व उ शु) हैं । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सचिव के पद रिक्त रहने के कारण निदेशक (अनु व उ शु) ने सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला ।

बोर्ड के प्रशासन, रबड़ उत्पादन, सांख्यिकी व योजना, अनुज्ञप्ति व उत्पाद शुल्क और वित्त एवं लेखा विभाग, कीषकुन्नु, कोट्टयम - 686 002 के अपने ही कार्यालय भवन में स्थित हैं । अनुसंधान विभाग, प्रसंस्करण व उपज विकास विभाग और प्रशिक्षण व तकनीकी परामर्श विभाग भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान परिसर, कोट्टयम-9 में स्थित हैं ।

अनुज्ञप्ति और उत्पाद शुल्क विभाग के अधीन नौ उप/संपर्क कार्यालय हैं । देश के विभिन्न रबड़ उत्पादित क्षेत्रों में रबड़ उत्पादन विभाग के 5 आंचलिक कार्यालय, 2 न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट एवं प्रशिक्षण केन्द्र, 40 प्रादेशिक कार्यालय, 1 सहायक विकास अधिकारी के कार्यालय, 189 क्षेत्रीय स्टेशन, दो जिला विकास केन्द्र सहित 14 प्रादेशिक नर्सरियाँ, एक केन्द्रीय पौधशाला और 23 टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल हैं ।

ग) रबड़ उत्पादकों को तकनीकी सलाह प्रदत्त करना;

घ) रबड़ विपणन का सुधार;

ड.) एस्टेट मालिकों, व्यापारियों और विनिर्माताओं से सांख्यिकी का एकत्रण करना;

च) श्रमिकों को काम करने हेतु बेहतर सुविधा व व्यवस्था सुनिश्चित करना, तथा उनकी सुख सुविधाओं व प्रोत्साहनों का सुधार करना; तथा

छ) बोर्ड के अधिकार में दिये गए किसी भी अन्य कार्यों का निर्वहण करना ।

(ii) बोर्ड का यह भी कार्य होगा

क) रबड़ के आयात और निर्यात सहित रबड़ उद्योग के विकास से संबंधित सारे मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना;

ख) रबड़ से संबंधित किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या योजना में भाग लेने के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना ।

ग) इस अधिनियम के कार्यों एवं बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में केन्द्र सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को जैसा निर्धारित हो, अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना; तथा

घ) समय समय पर केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार रबड़ उद्योग से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना और उसे पेश करना ।

रबड़ अधिनियम की धारा 8 में कथितानुसार बोर्ड के कार्यकलापों व प्रकार्यों की तुलनात्मक पुनरीक्षा हेतु सात समितियाँ गठित की गई हैं । ये हैं:- कार्यकारिणी समिति, अनुसंधान एवं विकास समिति, विपणन विकास समिति, रोपण समिति, सांख्यिकी एवं आयात/निर्यात समिति, श्रमिक कल्याण समिति और कर्मचारी कार्य समिति ।

बोर्ड ने 3.11.2001 को तमिलनाडु राज्य चुनाव क्षेत्र के बडे रबड़ कृषकों के प्रतिनिधित्व करनेवाले श्री ए.जेकब को 02.11.2002 तक की अवधि के लिए उपाध्यक्ष चुन लिया गया ।

श्री एस.एम.डसलफिन भा.प्र.से. वर्ष 2001-02 के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जारी रहे।

बोर्ड एवं समितियों की बैठक

रिपोर्ट वर्ष के दौरान बोर्ड और समितियों की निम्न लिखित बैठकें हुईं ।

क)	बोर्ड की बैठकें	142वीं बैठक - 23.06.2001
		143वीं बैठक - 03.11.2001

इसके अलावा बोर्ड की दो विशेष बैठकें 21.07.2001 को तथा 13.10.2001 को आयोजित कीं ।

ख) समिति बैठकें

◆ रोपण समिति	19.04.2001
◆ अनुसंधान एवं विकास समिति	20.04.2001
◆ श्रमिक कल्याण समिति	21.04.2001
◆ सांख्यिकी एवं आयात/निर्यात समिति	21.04.2001 एवं 15.02.2002
◆ कार्यकारिणी समिति	21.08.2001
◆ कर्मचारी कार्य समिति	16.03.2002

संगठनात्मक रचना

रबड़ बोर्ड के कार्यकलापों का आठ विभागों द्वारा निष्पादन किया जाता है याने रबड़ उत्पादन, प्रशासन, रबड़ अनुसंधान, प्रसंस्करण एवं उपज विकास, प्रशिक्षण व तकनीकी परामर्श, वित्त एवं लेखा, सांख्यिकी एवं योजना और अनुज्ञप्ति एवं उत्पाद शुल्क । इन विभागों के मुख्य क्रमशः रबड़ उत्पादन आयुक्त, सचिव, निदेशक (अनुसंधान), निदेशक (प्र व उ वि), निदेशक (प्र व त प), निदेशक (वित्त), संयुक्त निदेशक (सां व यो) और निदेशक (अनु व उ शु) हैं । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सचिव के पद रिक्त रहने के कारण निदेशक (अनु व उ शु) ने सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाला ।

बोर्ड के प्रशासन, रबड़ उत्पादन, सांख्यिकी व योजना, अनुज्ञप्ति व उत्पाद शुल्क और वित्त एवं लेखा विभाग, कीषकुन्नु, कोट्टयम - 686 002 के अपने ही कार्यालय भवन में स्थित हैं । अनुसंधान विभाग, प्रसंस्करण व उपज विकास विभाग और प्रशिक्षण व तकनीकी परामर्श विभाग भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान परिसर, कोट्टयम-9 में स्थित हैं ।

अनुज्ञप्ति और उत्पाद शुल्क विभाग के अधीन नौ उप/संपर्क कार्यालय हैं । देश के विभिन्न रबड़ उत्पादित क्षेत्रों में रबड़ उत्पादन विभाग के 5 आंचलिक कार्यालय, 2 न्यूक्लियस रबड़ एस्टेट एवं प्रशिक्षण केन्द्र, 40 प्रादेशिक कार्यालय, 1 सहायक विकास अधिकारी के कार्यालय, 189 क्षेत्रीय स्टेशन, दो जिला विकास केन्द्र सहित 14 प्रादेशिक नर्सरियाँ, एक केन्द्रीय पौधशाला और 23 टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल हैं ।

अनुसंधान विभाग केरल में दो क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र और तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मिज़ोराम, मेघालय और त्रिपुरा में एक-एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र चलाता हैं । कोट्टयम स्थित पयलट ब्लॉक रबड़ फैक्टरी, चेत्तकल के केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन में स्थित पयलट लैटेक्स प्रसंस्करण फैक्टरी का और कोट्टयम में प्राकृतिक रबड़ के रेडियेशन वलकनीकरण के लिए एक पयलट प्लान्ट का संचालन रबड़ प्रसंस्करण एवं उपज विकास विभाग द्वारा किया जाता है । विश्व बैंक सहायताप्राप्त रबड़ परियोजना के अधीन संस्थापित आदर्श टी एस आर फैक्टरी का भी संचालन प्रसंस्करण एवं उपज विकास विभाग द्वारा किया जाता है ।

बोर्ड के सारे विभागों एवं कार्यालयों पर अध्यक्ष का प्रशासनिक नियंत्रण होता है । 31.3.2002 के अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की संख्या 2193 थी, जिनमें "क" वर्ग के 290 अधिकारी, "ख" वर्ग के 637 अधिकारी, "ग" वर्ग के 1040 और "घ" वर्ग के 226 कर्मचारी सम्मिलित है । कार्यकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच अच्छा संबंध रहा था । इनके अच्छे कार्य के फलस्वरूप वर्ष के दौरान उपलब्धियों का उज्वल रिकार्ड पा सका है ।

आगे के पृष्ठों में विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।

xxxxxxx

भाग - III
रबड़ उत्पादन

बोर्ड द्वारा स्वीकृत नीतियों के आधार पर रबड़ उत्पादन विभाग स्वाभाविक रबड़ के उत्पादन में वृद्धि लाने तथा शीट रबड़ एवं देश के कुल क्षेत्र एवं उत्पादन में 88% रखने वाले छोटे जोत क्षेत्र के बागानी लाटेक्स की गुणता में सुधार लाने हेतु विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं का रूपायन एवं कार्यान्वियन करता है । वर्ष 2001-02 के दौरान विभाग द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रमों का रूपायन एवं कार्यान्वयन किया गया ।

1. कम आय के बागानों का उच्च उत्पादकता वाली किस्मों से वैज्ञानिक पुनरोपण ।
2. नवरोपण जिसके फलस्वरूप रबड़ रोपित क्षेत्र का विस्तार हो जाए ।
3. वयस्क बागानों में उत्पादकता सुधार हेतु वैज्ञानिक कृषि प्रबंधन को प्रोत्साहन एवं सहायता।
4. छोटी जोत क्षेत्र के रबड़ की गुणता में वृद्धि लाने हेतु प्राथमिक प्रसंस्करण का समर्थन ।
5. बागवानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम ।
6. रबड़ रोपण के द्वारा जनजातीय परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार ।
7. रबड़ बागानों में अतिरिक्त आय पैदा करने के क्रिया-कलापों का प्रोत्साहन ।
8. रबड़ उत्पादक संघ (आर पी एस) नाम से कृषक समाजों का गठन करके छोटी जोतों के क्षेत्र के किसानों को सशक्त करना तथा छोटे कृषकों के स्वयं सहायक ग्रूप के रूप में कार्य करने हेतु उन्हें सुसज्जित करना ।
9. रबड़ उत्पादन संघ के सहभागिता से शुरू किए महिलाओं को सशक्त करने के कार्यक्रमों का समर्थन ।

विभाग इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कृषकों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली कई योजनाएं कार्यान्वित करता है । विभाग द्वारा ज़रूरतमंद कृषकों के लिए सिलसिलेदार शैक्षणिक प्रशिक्षण एवं दौरा कार्यक्रमों का प्रबंध किया जाता है । प्रौद्योगिकी प्रसार प्रक्रिया में मुद्रण माध्यमों, दृश्य-श्रवण उपकरणों, तकनीकी विषयों पर फिल्मों आदि का विस्तृत रूप से उपयोग किया जा रहा है । विभाग का एक अन्य कार्यक्रम कृषकों के खेत में वैज्ञानिक रोपणी का निदर्शन है । विभाग द्वारा रबड़ निर्माण बहिस्राव से जैव गैस निर्माण द्वारा रबड़ बागानों में प्रदूषण नियंत्रण, तद्वारा निर्मित गैस का रबड़ शीट सुखाने हेतु प्रयोग जिससे कि ईंधन लकडी के उपयोग में कमी, अतिरिक्त आय हेतु रबड़ बागानों में मधुमक्खी पालन आदि जैसी विशेष योजनाओं का भी सूत्रीकरण

एवं कार्यान्वयन किया जा रहा है । रबड़ रोपणी एवं संबद्ध क्षेत्र के कार्यों में लगी महिलाओं को सुशक्त करने के लक्ष्य से कुछ चयनित महिला विकास कार्यकलाप भी विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं। विश्व बैंक परियोजना अवधि के दौरान रबड़ बागान एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्य करनेवाली महिलाओं के लिए प्रारंभ किए महिलाओं को सशक्त करने के कार्यकलापों का विभाग द्वारा आगे समर्थन दिया गया । विभाग ने विश्व बैंक परियोजना के अधीन बोर्ड द्वारा समर्थित आदर्श रबड़ उत्पादक संघों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सामूहिक प्रसंस्करण, प्रदूषण नियंत्रण एवं अन्य कार्यकलापों की निगरानी की तथा मार्गदर्शन दिया । ये प्रयास रबड़ रोपण क्षेत्र में उत्साहवर्धक उपलब्धियाँ हासिल करने में सहायक रहे हैं ।

गैर पारंपरिक क्षेत्र के कृषकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के मद्देनज़र उन क्षेत्रों में परिचालित करने हेतु अलग योजनाएं रूपायित की हैं । इसी तरह अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कृषकों के लाभ हेतु ब्लॉक (सामूहिक) रोपणी परियोजना व आदिवासी रबड़ रोपण परिय़ोजना जैसी कुछ विशिष्ट परियोजनाओं एवं सीमा संरक्षण हेतु सहायता, रोपण सामग्री हेतु अतिरिक्त सहायता आदि जैसी योजनाओं का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

वित्त वर्ष 2001-02 के दौरान रबड़ उत्पादन विभाग द्वारा प्रचालित विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं तथा प्राप्त प्रगति के सारांश निम्न प्रकार हैः

• **रबड़ बागान विकास योजना :-** यह बोर्ड की प्रमुख योजनाओं में एक है तथा जिसका कार्यान्वयन रिपोर्ट वर्ष में भी सफलतापूर्वक जारी रखा था । वर्ष 2000-01 और 2001-02 के दौरान प्राप्त आवेदन, क्षेत्र, जारी किये परमिट, अनुज्ञापत्रित क्षेत्र आदि का विवरण निम्न प्रकार हैः

विवरण	2000-01	2001-02
आवेदनों की संख्या	13618	12922
आवेदनों के अनुसार क्षेत्र (हे.)	10040	9513
जारी किये परमिटों की संख्या	10482	9635
अनुज्ञापत्रित क्षेत्र (हे.)	7074	6577
वितरित रकम (रुपये करोडों में)	14.45	15.33

• पिछले वर्षों के रोपण के भुगतान भी सम्मिलित है ।

रबड़ के कम मूल्य के कारण वर्ष के दौरान रोपण गति में थोडा ह्रास हो गया ।

• **आदिवासी रबड़ बागान परियोजना** :- यह परियोजना केरल के चुने हुए आदिवासी परिवारों की वित्तीय स्थिरता के लक्ष्य से किया है और इस का बोर्ड एवं केरल राज्य सरकार संयुक्त रूप से करते हैं । परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति निम्न प्रकार है ।

परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 के दौरान रोपित क्षेत्र	82.00 हे.
परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2001-2002 तक संचित क्षेत्र	1899 हे.
लाभान्वित परिवारों की संख्या 2001-2002	200
परियोजना के अधीन कुल लाभान्वित परिवारों की सं.	5628

♦ **ब्लॉक (सामूहिक) रबड़ बागान परियोजना** :- यह योजना अपरंपरागत क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लोगों के पुनर्वास के लिये बनायी है जो हमेशा खेत बदलते रहते हैं । वर्तमान में यह परियोजना त्रिपुरा, उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक में संबंधित राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता से परिचालित है । इस परियोजना के अधीन रोपण का विवरण निम्न प्रकार है ।

राज्य	2001-02 के दौरान रोपण (क्षेत्र हेक्टरों में)	2001-02 तक संचित योग (क्षेत्र हेक्टरों में)
त्रिपुरा	407	2605
उड़ीसा	40	175
आन्ध्र प्रदेश	शून्य	76
कर्नाटक	28	187
कुल	**475**	**3043**

♦ **रबड़ बागानों के लिए बीमा**:- प्राकृतिक दुर्घटनाओं के विरुद्ध रबड़ बागानों की बीमा की जाती है। रबड़ रोपण विकास योजना के अधीन आनेवाले छोटे बागानों की अनिवार्यतः बीमा की जाती है। उत्पादकों के इच्छानुसार रबड़ बागान विकास योजना के बाहर के पक्व और अपक्व बागानों की भी बीमा की जाती है । यह राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों के समर्थन से प्रचालित है । बीमा किये गये बागानों और क्षतिपूर्ति के तौर पर दी गई रकम का विवरण नीचे दिया जाता है ।

मद	2001-02	2001-02 तक संचित योग
बीमा किये गये अपक्व क्षेत्र (हे.)	9044.00	92637.00
बीमा किये गये पक्व क्षेत्र (हे.)	368.00	11005.00
दी गयी क्षतिपूर्ति (रु. लाखों में)	23.20	189.42

♦ **विस्तार स्कंध द्वारा प्रचालित योजनाएं**:- धूम घर के निर्माण, रोलर की खरीद, रबड़ बागानों में मधुमक्खी पालन आदि जैसी योजनाओं के लिये तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता देने की

आवश्यकता पर आधारित योजनाएँ रूपीकृत और कार्यान्वित की जाती है । विभिन्न योजनाओं के वर्ष 2001-02 के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ निम्न प्रकार है ।

योजना	लक्ष्य		उपलब्धि	
	वस्तुपरक (लाभान्वितों की संख्या)	वित्तीय (लाख रुपयों में)	वस्तुपरक (लाभान्वितों की संख्या)	वित्तीय (लाख रुपयों में)
रबड़ रोलर की खरीद	2000	20.00	1954	19.54
धूमघर निर्माण	667	20.00	665	19.95
मधुमक्खी पालन	-	10.00	-	5.95
फलीदार छादन सस्यों के बीज का वितरण	-	4.00	-	-
स्प्रेयर/डस्टर की खरीद	-	3.00	16	0.60
जैव गैस प्लांट निर्माण	-	20.00	701	19.40

उपर्युक्त के अलावा निम्न में कथितानुसार की अन्य कुछ योजनाएं मात्र गैर पारंपरिक क्षेत्र में प्रचालन हेतु रूपायित की थी । वर्ष 2001-02 के लक्ष्य और उपलब्धियाँ निम्न प्रकार हैं ।

योजना	लक्ष्य	उपलब्धि
i) व्यक्तियों को रबड़ रोलर	189 सं.	101 सं.
ii) गैर सरकारी संगठनों को रोलर वितरण	18 "	18 "
iii)सीमा संरक्षण (सामान्य वर्ग)	9.00 लाख रुपये	3.81 लाख रु.
iv)सिंचाई सुविधा प्रदान करना	6.00 लाख रुपये	2.81 लाख रु.
v) धूमघर निर्माण	77 सं.	81 सं.
vi) बागान निवेशों का परिवहन	3.00 लाख रुपये	5.20 लाख रु.

मात्र अपरंपरागत क्षेत्रों के लिए कृषकों के खेतों में प्रदर्शन बागानों की स्थापना की अन्य एक योजना है । इस योजना के अंतर्गत रोपण के सारे व्यय और ऐसे बागानों के रख-रखाव के सारे व्यय का वहन बोर्ड करता है । वर्ष 2000-01 के दौरान ऐसे 6 प्लोटों का विकास किया गया।

♦ **<u>रोपण सामग्रियों का उत्पादन :-</u>** उत्पादकों को उचित मूल्य पर वितरण करने के लिए अच्छी गुणतावाली रोपण सामग्रियों के उत्पादन और इस क्षेत्र के निजी पौधशाला मालिकों के एकाधिकार तथा बेईमान व्यापार रीति को रोकने के लक्ष्य से, बोर्ड अपनी नर्सरियों का रख-रखाव करते हैं । इसका विवरण नीचे दिया जाता है ।

बोर्ड की पौधशालाओं की संख्या	15
पौधशाला का क्षेत्र	72.17 हे.

वर्ष 2001-02 के दौरान उत्पादन लक्ष्य एवं उपलब्धि

	लक्ष्य	उपलब्धि
बड़ किए ठूँठ (हरे)	1.15 लाख	1.21 लाख
बड़ किए ठूँठ (भूरे)	9.04 लाख	10.42 लाख
कुल	**10.19 लाख**	**11.63 लाख**

गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्रियों के उत्पादन में उत्पादन लक्ष्य पार किया हैं। बागान की तैयारी एवं पौधशाला स्रोतों की तैयारियाँ हेतु उत्पादित रोपण सामग्रियों का वितरण आवश्यक कृषकों को किया गया ।

टापरों का प्रशिक्षण

- **नियमित पाठ्यक्रम** - रबड़ बागानों के मालिकों/कामगारों को रबड़ टापिंग में नियमित रूप से तीस दिन तक प्रशिक्षण देने के लिए बोर्ड अपना टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल चलाता है ।

टापेर्स प्रशिक्षण स्कूल की संख्या	**23**
वर्ष 2001-02 के दौरान प्रशिक्षित टापरों की संख्या	**2101 (136 बैचों में)**

- **ह्रस्वावधि पाठ्यक्रम** - बोर्ड द्वारा वर्तमान में कार्यरत रबड़ टापरों को चुने गए बागानों में उनकी दक्षता सुधारने के लिए आठ दिनों के ह्रस्वावधि प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की जाती है तथा 2001-02 के दौरान 5703 (386 बैचों में) टापरों को ऐसा प्रशिक्षण दिया गया ।

रबड़ उत्पादक संघ

छोटे कृषकों को अधिक विस्तार समर्थन देने के लक्ष्य से व्यक्तिगत रूप से कृषकों पर ध्यान देने के बजाय बोर्ड ने सामूहिक ध्यान नीति अपनायी । व्यक्तिगत ध्यान नीति से बदलकर सामूहिक नीति अपनाने से वर्ष 1986 से रबड़ उत्पादक संघ नाम से ग्राम स्तर पर रबड़ कृषकों के स्वयंसेवी संगठनों के रूपायन को प्रोत्साहित करते आ रहा है । रबड़ उत्पादक संघ कृषकों को बागान निवेशों के एक साथ प्रापण, सामूहिक प्रक्रमण एवं दलालों से बचाकर रबड़ का विपणन, बागान रख-रखाव से संबंधित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, फसल लेने, प्रक्रमण करने आदि में सहायता प्रदान करते हैं । कुछ मृत आर पी एसों को पुनःजीवित करने का प्रयास भी किया जा रहा था । नव गठित आर पी एसों का विवरण निम्न प्रकार हैः

नवगठित/पुनःजीवित आर पी एस	2001-02	2000-01 तक संचित
नवगठित आर पी एस	22	2124
पुनःजीवित आर पी एस	24	795

आदर्श रबड़ उत्पादक संघ

विश्व बैंक सहायताप्राप्त परियोजना के अधीन 35 रबड़ उत्पादक संघों, 30 पारंपरिक क्षेत्र में एवं 5 गैर पारंपरिक क्षेत्र में, को आदर्श संघ के रूप में चयन किया है तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्रों व सामाजिक प्रसंस्करण केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं की संस्थापना हेतु वित्तीय एवं तकनीकी समर्थन प्रदान किया जा रहा है । विभाग ने इन समितियों के कार्यकलापों की निगरानी की तथा बोर्ड द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने हेतु समर्थन दिए ।

सामूहिक प्रसंस्करण एवं विपणन के अलावा इन संघों ने रोपण प्रबंधन, शीट प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, खाद प्रयोग, टापिंग, विपणन एवं पौधा संरक्षण जैसे विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए । बोर्ड के विस्तार अधिकारियों के तकनीकी समर्थन के अंतर्गत रबड़ उत्पादन संघों द्वारा कुल 259 ऐसे प्रशिक्षण चलाए गए तथा इनमें कुल 4381 कृषकों को प्रशिक्षित किए । उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में करीब 200 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन आदर्श रबड़ उत्पादन संघों द्वारा किया था ।

प्राथमिक प्रसंस्करण

विभाग द्वारा लाटेक्स के प्राथमिक प्रसंस्करण हेतु सुविधाओं की संस्थापना हेतु समर्थन देने की योजना कार्यान्वित की है ।

धूम घर, सामूहिक प्रसंस्करण केन्द्र, लाटेक्स एकत्रण केन्द्र, बहिस्राव उपचार संयंत्र आदि के निर्माण, रबड़ शीटिंग बैटेरी/जेनरेटर तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की संस्थापना हेतु तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान की गयी । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 220 रबड़ उत्पादक संघों को समर्थन दिया तथा उनको 112.00 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की ।

महिलाओं को सशक्त करने के कार्यक्रम

विश्व बैंक परियोजना के दौरान रबड़ उत्पादक संघों द्वारा शुरू किए महिलाओं को सशक्त करने के कार्यक्रम (आय सृजन एवं प्रशिक्षण कार्यकलाप) विभाग ने अपने मुख्य कार्यालय के विकास अधिकारी (महिला विकास) एवं प्रादेशिक कार्यालयों के नॉडल अधिकारियों के द्वारा समर्थन प्रदत्त

किए । महिला स्वयं सहायक ग्रूपों को प्रशिक्षण एवं उत्पादों के विपणन के क्षेत्रों में सख्त समर्थन प्रदान किया ।

सामूहिक बैठकें

कृषक शिक्षक कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू क्रियाकलाप के रूप में रबड़ उत्पादक संघों की सहायता से विभाग देहाती गाँवों के रबड़ कृषकों की छोटी छोटी बैठकें आयोजित की जाती है । ऐसी बैठकें प्रौद्योगिकी के प्रसारण हेतु नियमित आधार पर तथा कुछ विशेष विषयों की चर्चा हेतु अभियान के आधार पर आयोजित की जाती थी । वर्ष के दौरान अभियान बैठकों में चर्चित मुख्य विषय छोटे कृषकों द्वारा उत्पादित शीट रबड़ की गुणवत्ता में सुधार रहा । वर्ष 2001-02 के दौरान चलायी गयी बैठकों का विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

बैठक का स्वभाव	बैठकों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
पूर्ण दिपसीय संगोष्ठियाँ	76	3339
अर्ध दिवसीय बैठकें	1943	38392
अभियान बैठकें	2607	58077
कुल	**4626**	**99808**

बाज़ार समर्थन कार्यकलाप

निम्नतम अधिसूचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने बोर्ड एवं रबड़ उत्पादक संघों द्वारा प्रायोजित व्यापार व प्रसंस्करण कंपनियों को छोटे रबड़ कृषकों से निम्नतम अधिसूचित भाव पर रबड़ प्रापण करने हेतु सहायता प्रदान की । विभाग को विस्तार मशीनरी ने बाज़ार समर्थन कार्यकलापों का संयोजन किया । संकट प्रबंधन उपाय के रूप में करीब 1200 मे.ट. आर एस एस 4 श्रेणी के शीट रबड़ की खरीद की थी । निर्यात योग्य श्रेणी के गुणतायुक्त रबड़ शीट रबड़ उत्पादक संघों के द्वारा छोटी जोतों से कंपनियों द्वारा खरीदने हेतु विभाग ने मुख्य भूमिका निभाई ।

- **कंप्यूटरीकरण**

पारंपरिक क्षेत्र के सभी 25 प्रादेशिक कार्यालय रबड़ उत्पादन विकास योजना के वर्ष 1999, 2000 व 2001 के आवेदनों की प्रविष्टियाँ कंप्यूटर में की । अनुज्ञा, मंजूरी सूचनाएं तैयार करने एवं संबंधित विवरणियों की तैयारी के लिए आवेदनों की छानबीन भी अधिकतम मामलों में कंप्यूटर द्वारा की । पारंपरिक क्षेत्र के प्रादेशिक कार्यालयों में द्वितीय एवं तृतीय वर्षों की सहायताओं के आवेदनों पर कार्रवाई कंप्यूटर से की जाती है ।

कंप्यूटरीकरण के द्वितीय चरण में चार और प्रादेशिक कार्यालयों, नागरकोविल, मैंगलूर, कुन्दापुरा एवं बारिपाडा के लिए मशीनों की खरीद की तथा पूर्ति की । इन कार्यालयों में प्रायोगिक सोफ्टवेयरों की संस्थापना की और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रथम चरण पूरा किया ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी कार्यालयों के लिए कंप्यूटर की खरीद एवं पूर्ति की ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रबड़ विकास

देश के परंपरागत रूप से रबड़ की खेती करनेवाले इलाकों से बाहर उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्य याने त्रिपुरा, असम, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड एवं अरुणाचलप्रदेश रबड़ की खेती के लिए एकदम उपयुक्त पाये गये हैं । इसलिए इस क्षेत्र में विकासात्मक एवं विस्तार गतिविधियों को अधिक ध्यान दिया जा रहा है । परिणामतः कृषकों की खेती संबंधी अनभिज्ञता, संचार सुविधाओं की अपर्याप्तता, असुरक्षित कानून और व्यवस्था की स्थिति आदि जैसी कठिनाइयों के बावजूद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के 4.5 लाख हे. के कुल संभावित क्षेत्र के विरुद्ध 50610 हे. (अस्थायी) क्षेत्र में रबड़ का रोपण किया जा सका । त्रिपुरा सरकार के वित्तीय समर्थन से कार्यान्वित ब्लॉक रोपण परियोजना एवं विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित सामाजिक रोपण परियोजनाओं का, रबड़ रोपण क्षेत्र में वृद्धि एवं बागानों की गुणवत्ता बनाए रखने में अच्छा परिणाम निकल रहा है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान उत्तरपूर्वी क्षेत्र के 3999 कृषकों ने 3725 हे. में रबड़ खेती करने हेतु सहायिकी के लिए आवेदन दिये । 2669 हे. क्षेत्र में 3480 कृषकों को सहायता अनुज्ञापत्र एवं सहायता जारी किए । अगले वर्ष के रोपण हेतु पॉली बैग में तैयार की गई रोपण सामग्रियों के उत्पादन हेतु इस क्षेत्र के 2916 कृषकों को पॉली बैगों की आपूर्ति की गई ।

वर्ष 2001-02 के दौरान रबड़ बागान विकास/अन्य योजनाओं के अधीन मात्र उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 432.21 लाख रुपये का वितरण कृषकों को किया गया ।

एन आर ई टी सी एवं जिला विकास केन्द्र

रबड़ की रोपण प्रणालियों से अवगत न रहनेवाले यहाँ के स्थानीय कृषकों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पूरा करने के लिए त्रिपुरा राज्य में एक न्यूक्लियस रबड़ बागान एवं प्रशिक्षण केन्द्र (एन आर ई टी सी) तथा असम व मेघालय में 2 जिला विकास केन्द्रों का अनुरक्षण विभाग करता है । कृषकों को रबड़ पौधशाला व पॉलीबैग पौधा तैयार करने में, खेतों में रबड़ के रोपण करने में, टापिंग और फसलोत्तर प्रसंस्करण कार्यों में प्रशिक्षण देने हेतु इन केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएं उपयुक्त की जा रही हैं ।

वर्ष 2001-02 के दौरान क्षेत्र के एन आर ई टी सी एवं जिला विकास केन्द्रों को मिलाकर 19.4 मे.टण शीट रबड़ का उत्पादन किया तथा 4.90 मे.टण फील्ड कोयागुलम का भी ।

इसके अलावा विश्व बैंक से सहायता प्राप्त रबड़ परियोजना की वित्तीय सहायता से त्रिपुरा राज के अन्तर्गत में संपूर्ण सुविधाओं से युक्त एक आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र की संस्थापना की है । कृषकों, रोपण कार्यकारियों, रोपण कर्मियों, सरकार पदधारियों, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों आदि को प्रशिक्षण देने के लिए लक्षित इस केन्द्र का प्रभावी रूप से उपयोग विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए किया गया ।

वर्ष 2001-02 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 50 बैचों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया तथा इनमें 1052 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया । वर्ष के दौरान क्षेत्र में कृषकों की 485 शैक्षणिक ग्रूप बैठकें आयोजित की । जिनमें कुल 8006 व्यक्ति भाग लिए ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कृषि विभागों एवं कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित 4 राज्यस्तरीय प्रदर्शनियों/संगोष्ठियों में बोर्ड भाग लिए । रबड़ पर असमी समाचार पत्रिका का प्रकाशन जारी रखा।

विभाग के शास्त्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपारंपरिक क्षेत्र के चुने हुए 123 रबड़ कृषकों को पाँच बैचों में केरल व कर्नाटक के पारंपरिक खेतीवाले इलाकों में रबड़ खेती के विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं की प्राथमिक जानकारी हासिल करने हेतु अध्ययनार्थ छुट्टी में लाए गए ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोडकर अपरंपरागत क्षेत्र में रबड़ विकास

विभाग ने उड़ीसा, आंध्रप्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आन्डमान व निकोबार द्वीप समूह आदि जैसे अपरंपरागत क्षेत्रों में विद्यमान बागवानों के रखरखाव एवं क्षेत्र विस्तार के कार्यकलाप जारी रखे । रबड़ बागान विकास योजना एवं अन्य विस्तार समर्थन योजनाओं के अलावा इन क्षेत्रों में ब्लॉक रबड़ बागान योजनाएं एवं सामूहिक रबड़ बागान योजनाएं कार्यान्वयन में थीं । इस क्षेत्र में रोपण की प्रगति रिपोर्ट में अलग से सम्मिलित की है ।

भाग IV
प्रशासन

प्रशासन विभाग के निम्नलिखित अनुभाग एवं प्रभाग हैं ।

01 स्थापना अनुभाग (सामान्य प्रशासन, कार्मिक प्रशासन एवं हकदार)
02 विपणन प्रभाग
03 श्रमिक कल्याण अनुभाग
04 विधिक अनुभाग
05 हिन्दी अनुभाग

1. स्थापना अनुभाग

(क) सामान्य प्रशासन

बोर्ड एवं उसकी समितियों का संगठन/पुनःसंगठन, बोर्ड एवं उसकी समितियों की बैठकें आयोजित करना, बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, गृह-व्यवस्था कार्यकलाप का प्रबंधन आदि सामान्य प्रशासन के मुख्य कार्यों में हैं ।

(ख) हकदार

इस अवधि के दौरान 52 कर्मचारियों को अपने भवनों के निर्माण के लिए 1,16,07,350/- रु. पेशगी के तौर पर वित्तीय सहायता दी गयी । इसके अलावा 186 कर्मचारियों को वाहन पेशगी के तौर पर 35,14,650 रु..दिए गए (99 कर्मचारियों को दुपहिया वाहन अग्रिम के रूप में 27,86,450/- रु., 5 कर्मचारियों को कार अग्रिम के तौर पर 6,05,200/- रु. तथा 82 कर्मचारियों को साइकिल अग्रिम के रूप में 1,23,000/- रु.) 4 कर्मियों को कंप्यूटर अग्रिम के रूप में 1,96,800/- रु. दिए गए तथा एक कर्मचारी को पंखा अग्रिम स्वरूप 1000 रु.।

कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं, छुट्टी खाते एवं वैयक्तिक फाइलों का सही रखरखाव किया गया । अधिवर्षिता पर 59 कर्मचारियों, स्वैच्छिक सेवनिवृत्ति पर 2 मामलों तथा अनिवार्य निवृत्ति पर एक को सेवानिवृत्ति लाभ दिए गए । नौ अर्ह मामलों में कुटुंब पेंशन भी मंजूर किया गया।

(ग) कार्मिक प्रशासन

अनुमोदित भर्ती नियमों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों से संबंधित सांविधिक नियमों का पालन करते हुए बोर्ड के सुगम संचालन के लिये रिक्त पदों में योग्य व्यक्तियों का चयन सुनिश्चित किया था । भर्ती के लिए उपयुक्त कर्मचारियों के चयन के लिए चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति का संगठन उपयुक्त तरीके से किया था। चुने हुए आरक्षित पदों के लिए चुने गए कर्मियों के संबंध में सामयिक विवरणियाँ सरकार को भेजी थीं ।

31.3.2002 को बोर्ड के अधीन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कुल संख्या 2193 थी, जिनका विवरण निम्न प्रकार है ।

क्र.सं.	विभाग का नाम	वर्ग क	वर्ग ख	वर्ग ग	वर्ग घ	योग
1.	रबड़ उत्पादन	164	394	541	122	1221
2.	अनुसंधान	70	140	190	66	466
3.	प्रशासन	12	16	121	18	167
4.	अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क	17	32	81	9	139
5.	प्रसंस्करण एवं उपज विकास	14	21	37	5	77
6.	वित्त एवं लेखे	5	18	29	3	55
7.	प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श	2	9	23	3	37
8.	सांख्यकी एवं योजना	6	7	18	0	31
	योग	**290**	**637**	**1040**	**226**	**2193**

2. विपणन प्रभाग

प्रभाग द्वारा किये गये मुख्य कार्य स्वाभाविक रबड़ के मूल्य का एकत्रण, संकलन एवं प्रसारण रहा । वर्ष के दौरान भी आर एस एस 4 एवं आर एस एस 5 शीट रबड़ के कोट्टयम व कोची बाजार के भाव दैनिक आधार पर एकत्रित तथा संकलित किए और प्रकाशनार्थ माध्यमों को सूचित किए तथा हर दिन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्य अभिकरणों को रिपोर्ट किए । उसी तरह आइ एस एन आर 20 एवं 60 प्रतिशत सान्द्रीकृत लाटेक्स के भाव एकत्रित किए तथा समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु दिए । स्क्रप रबड़ का मूल्य भी एकत्रित करके सप्ताह में दो बार प्रकाशित किए। सभी वर्ग के शीट रबड़, पेल लाटेक्स क्रीप, एस्टेट ब्राउन क्रीप व आइ एस एन आर 20 के साप्ताहिक भावों का एकत्रण और संकलन किया । कुलालंपुर बाज़ार एवं सिंगपुर कोमोडिटी एक्सचेंज में विभिन्न वर्ग के शीट रबड़ एवं सान्द्रीकृत लाटेक्स के दैनिक भावों का एकत्रण, संकलन और प्रकाशन भी प्रभाग ने किया । दैनिक आधार पर रबड़ की विभिन्न श्रेणियों के राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय भाव बोर्ड के वेब साइट में डाले गए ।

3. श्रमिक कल्याण अनुभाग

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 8, उपधारा 2, खंड (च) के अनुसार "श्रमिकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएँ एवं शर्तें सुनिश्चित करना तथा सुख सुविधाओं व प्रोत्साहन में अभिवृद्धि लाना" बोर्ड के प्रमुख कार्यों में एक है । इसमें परिलक्षित कार्य रबड़ बागान उद्योग के विकास एवं उत्थान के लिए एवं रबड़ बागान उद्योग के श्रमिकों, जो रबड़ खेती के विकास और उत्थान के अभिन्न अंग है, के बीच रुचि दिलाने व पैदा करने के लिए उपयुक्त उपाय हैं ।

बोर्ड ने उपर्युक्त कार्य विभिन्न कल्याण योजनाओं के द्वारा चलाया गया । वर्ष 2001-02 के बजट आबंटन 123 लाख रुपये था जबकि वास्तविक व्यय 1,22,16,277/- रु. हुआ । चलायी गई योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है: हर योजना के अधीन वितरित रकम का विवरण तालिका में दिया गया है ।

क. गैर प्लान योजनाएं

1. शैक्षिक वृत्तिका योजना

योजना के अधीन रबड़ बागान श्रमिकों के बच्चों को कॉलेज व स्कूलों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

वृत्तिका में (1) शिक्षा शुल्क
(2) छात्रावास/आवास शुल्क
(3) पुस्तक, उपकरण आदि खरीदने के एकमुश्त अनुदान आदि सम्मिलित हैं ।

2. शैक्षिक छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रशंसनीय रूप से संबंधित पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होनेवाले रबड़ बागान श्रमिकों के बच्चों को 250 रु. से 2000 रु. तक की रकम छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है ।

3. समूह बीमा-सह-जमा योजना

यह योजना बागान श्रमिक अधिनियम लागू न होनेवाले रबड़ बागानों में सह्ति कार्यरत श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित है । यह योजना श्रमिकों में बचत की आदत को प्रोत्साहित करती भी है ।

ख. प्लान योजनाएं

1. गृह निर्माण सहायिकी योजना (संगठित क्षेत्र)

योजना के अधीन बागान श्रमिक अधिनियम 1951 के दायरे में आनेवाले श्रमिकों को अपनी भूमि में भवन निर्माण के लिए उन्हें अधिकतम 7500/- रु. या आकलित निर्माण लागत के 25 प्रतिशत में जो भी कम हो वह रकम की आर्थिक सहायता दी जाती है ।

2. गृह निर्माण सहायिकी योजना (असंगठित-गैर-सीमांत जोतें)

यह योजना बागान श्रमिक अधिनियम 1951 के दायरे में न आनेवाली जोतों के टापरों को जीवन की एक मूलभत आवश्यकता 'आश्रय' के अर्जन के लिए लक्षित है । इस योजना के अन्तर्गत लाभभोगी बनने के लिए आवेदक के काम करनेवाले एस्टेट 1.25 हे. से कम का न होना चाहिए । ऐसे टापर अगर योजना की विहित शर्तों के अनुसार अपने आप घर बनाते तो अधिकतम 7500 रु. या आकलित लागत के 25 प्रतिशत जो भी कम हो, की सहायिकी दी जाएगी । उत्तर्‍पूर्वी क्षेत्र में कीचड की दीवार और घास छत से बनाए घर अधिकतम 4000 रु. की सहायिकी के लिए हकदार हैं । कीचड की दीवार और टीन या अलुमिनियम की छत वाले घरों के लिए अधिकतम 5000 रु. की सहायिकी दी जाएगी ।

3. गृह निर्माण सहायिकी योजना (असंगठित-सीमांत जोतें)

इस योजना के अधीन 0.75 हे. से 1.25 हे. क्षेत्र की छोटी जोतों में काम में लगे टापर्स सहायता के पात्र हैं । छोटी जोत क्षेत्र (गैर-सीमांत जोतें) के टापर्स की योजना की सभी शर्तें व विनिर्देश इस योजना के लिए भी लागू है ।

4. प्रसाधन सुविधा प्रदान करने की योजना

असंगठित क्षेत्र के रबड़ टापरों के बीच स्वच्छ परिस्थिति के प्रति रुचि पैदा करना इस योजना का लक्ष्य है । बोर्ड द्वारा निर्धारित नक्शा एवं अनुमान के अनुसार शौचालय निर्माण में टापरों को सहायता दी जाती है ।

निर्माण लागत के 75 प्रतिशत या 3000 रु. में जो भी कम हो उतनी रकम तक वित्तीय सहायता सीमित की गई है ।

5. चिकित्सा सहायिकी योजना

यह योजना असंगठित क्षेत्र के टापरों के लिए सीमित है । योजना द्वारा चिकित्सा हेतु रोगपीडित टापरों द्वारा खर्च किये व्यय की प्रतिपूर्ति एवं रोग के परिणामस्वरूप कार्य पर जाने के लिए असमर्थ टापरों को उसकी क्षतिपूर्ति स्वरूप सहायिकी दी जाती है । छोटे परिवार प्रोत्साहित करने हेतु बंध्यंकरण ऑपरेशन करनेवाले श्रमिकों को भी सहायता दी जाती है ।

6. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडी जाति के लिए भवन निर्माण एवं सानिटरी योजना

यह योजना मात्र असंगठित रबड़ जोतों में काम करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडी जाति के टापरों के लिए हैं । इस योजना के अन्दर शौचालय सहित गृहनिर्भाण के लिए 14,000 रु. तक की सहायिकी प्रति आवेदक दी जाती है । योजना हेतु निधि विशेष संघटक योजना/आदिवासी उप योजना से प्रदत्त की जाती है ।

7. समूह बीमा सह जमा योजना (नया चरण) चरण I (2001)

केवल छोटी जोतों के टापरों को प्रतिवर्ष 250 रु. के उच्चतर प्रीमियम से 50000 रु. की बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नयी समूह बीमा-सह-जमा योजना का प्रारंभ किया है । यह योजना दुर्घटनाओं में उच्चतर क्षतिपूर्ति देती है तथा टापरों में जमा करने की आदत को प्रोत्साहित करती है । प्रतिवर्ष बोर्ड 150 रु. प्रति सदस्य अंशदान करता है ।

वर्ष 2001-02 के दौरान योजनाओं के निष्पादन निम्न प्रकार है :-

(क) **गैर प्लान योजनाएं**

योजना का नाम	वर्ष 2001-02 के दौरान के कुल लाभान्वित	कुल वितरित राशि (रु.)
1) शैक्षिक वृत्तिका	5433	1462571
2) शैक्षिक छात्रवृत्ति	112	39300
3) समूह बीमा-सह-जमा योजना (चरण IV से XI तक)	7482	7482000
कुल	**13027**	**2250071**

(ख) प्लान योजनाएँ

क्रम सं	योजना का नाम	कुल लाभान्वितों की संख्या	वितरित रकम (रु.)
1.	गृह निर्माण सहायिकी (संगठित)	147	1101000
2.	गृह निर्माण सहायिकी (असंगठित-सीमांत)	265	1993750
3.	गृह निर्माण सहायिकी (असंगठित-गैर-सीमांत)	266	1995000
4.	शौचालय सहायिकी	664	1998250
5.	चिकित्सा सहायिकी	453	669206
6.	गृहनिर्माण व शौचालय सहायिकी (अनु.जा/ज.जा./अ.पि.व)	254	2002000
7.	समूह बीमा-सह-जमा योजना	1380	207000
	कुल	**3429**	**9966206**

4. विधिक अनुभाग

बोर्ड के विभिन्न विभागों/अनुभागों/प्रभागों को सलाह/राय देना, कानूनी दस्तावेजों का प्रारूप तैयार करना, रबड़ अधिनियम 1947 के अधीन कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करना, श्रमिक मामलों, कर मामलों में समझौता करने हेतु विभागों की सहायता करना तथा बोर्ड के मुकदमे चलाने हेतु बोर्ड के अधिवक्ताओं को अनुदेश देना तथा सहायता प्रदान करना आदि विधिक अनुभाग के कार्य हैं ।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान विधिक अनुभाग के ध्यान आकर्षित 960 फाइलों में समय ही पर कार्रवाई की/सलाह दी । गृह निर्माण अग्रिमों के 58 आवेदनों में नियमानुसार आवेदनों की पात्रता निर्धारित करने हेतु दस्तावेजों की छानबीन की । रिपोर्ट वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा निष्पादित करने के कानूनी दस्तावेजों का आवश्यक समय पर प्रारूपण किया/तैयार किया गया । विविध अदालतों में बोर्ड के विरुद्ध लंबित मामलों तथा वर्ष के दौरान दायर 45 नये मामलों में बोर्ड के हितों की रक्षा करने के लिए वकीलों द्वारा उचित कदम उठाये गये । उच्च न्यायालय में लंबित मामलों पर स्थायी काउंसेल एवं केन्द्र सरकार वकीलों को खंडवार टिप्पणियाँ दी एवं आवश्यक अनुदेश दिए थे । विभिन्न जिलों के क्षतिपूर्ति फोरम के सामने आये उपभोक्ता विवाद संबंधी फाइलों पर अनुभाग ने उत्तर तैयार किये और फाइल किये तथा सुनवाई के समय बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया ।

श्रमिक मामलों के निपटान हेतु प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र धेंकनाल, आर आर. डी. एस., अन्डमान, के.प.स्टे.चेत्तक्कल, भा.र.ग.सं. फार्म, एच बी एस नेट्टना व परलियार, र.उ.विभाग की

पौधशालाएं/प्रक्षेत्रों को आवश्यक सहायताएं प्रदान की । रबड़ अधिनियम, रबड़ नियम, रबड़ बोर्ड कर्मचारी आचार नियम व वर्गीकरण (नियंत्रण व अपील) नियमों के लिए बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के मसौदे तैयार किए ।

5. हिन्दी अनुभाग

रबड़ बोर्ड राजभाषा नियम के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय है । भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में बोर्ड में राजभाषा कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व हिन्दी अनुभाग पर है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के हिन्दी अनुभाग ने निम्नलिखित कार्य किए ।

राजभाषा ट्रॉफी

वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत केन्द्र सरकार कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों/उपक्रमों में वर्ष 2000-01 के दौरान राजभाषा नीति के उत्तम निष्पादन हेतु द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी से राजभाषा ट्रॉफी स्वीकार की । नई दिल्ली के उद्योग भवन में आयोजित कार्यक्रम में रबड़ बोर्ड के अध्यक्ष श्री एस.एम.डसलफिन ने ट्रॉफी स्वीकार की ।

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति

वर्ष के दौरान बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें आयोजित की । बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा उस पर विचार विमर्श किए ।

2. हिन्दी सलाहकार समिति

उद्योग भवन में संपन्न वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में श्री एस एम डसलफिन, अध्यक्ष एवं श्रीमती पी. के.शान्तकुमारी, सहायक निदेशक (रा.भा) भाग लिए ।

3. हिन्दी पखवाडा/हिन्दी दिवस समारोह

बोर्ड के मुख्यालय एवं भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान में 14 सितंबर से 27 सितंबर 2001 तक हिन्दी पखवाडा समारोह का आयोजन किया । बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए

विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कीं और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए । बोर्ड के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी दिवस समारोह का भी आयोजन किया गया ।

4. हिन्दी द्वैमासिक बुलेटिन का प्रकाशन

वर्ष के दौरान "रबड़ समाचार" नामक हिन्दी द्वैमासिक बुलेटिन के सभी अंक प्रकाशित किए।

5. हिन्दी शिक्षण योजना

वर्ष के दौरान भारत सरकार की नीति के अनुसार हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी प्रशिक्षण जारी रखे तथा 28 पदधारियों ने प्राज्ञ परीक्षा पास की तथा 5 पदधारी टंकण परीक्षा पास की ।

6. हिन्दी कार्यशाला

बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएं चलायी गयी तथा इनमें 439 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया ।

7. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

वर्ष के दौरान कोट्टयम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कोर समिति की दो-दो बैठकें आयोजित की । सदस्य संगठनों के पदधारियों के लिए संयुक्त हिन्दी सप्ताह समारोह का आयोजन किया ।

8. सामान्य

श्रीमती कांती सिंह, सांसद के नेतृत्व में संसदीय राजभाषा समिति ने तिरुवनन्तपुरम प्रादेशिक कार्यालय का दौरा किया तथा बोर्ड के कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा की ।

अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में कार्य करनेवाले प्रभाग

1. प्रचार व जनसंपर्क प्रभाग
2. सतर्कता प्रभाग
3. आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग

1. प्रचार व जनसंपर्क प्रभाग

प्रचार व जन संपर्क प्रभाग अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में कार्यरत है जिसका प्रमुख उपनिदेशक है । प्रचार व जन संपर्क प्रभाग के कार्यों में मुख्यतया विस्तृत पैमाने पर प्रचार व जन संपर्क कार्य सम्मिलित है । इनका कार्य निष्पादन संबंधित विभागों के साथ निकट सहयोग में किया गया ।

1. रबड़ बोर्ड के समूचे जनसंपर्क क्रिया कलाप ।

2. देश भर के रबड़ बागान समाज एवं रबड़ उत्पाद विनिर्माताओं को जानकारियों का हस्तांतरण, सूचना का प्रसारण एवं खोजों की फैलाव सामूहिक माध्यमों, इलक्ट्रॉनिक माध्यमों एवं मुद्रण माध्यमों समेत सभी उपलब्ध संचार माध्यमों को प्रयुक्त करके करना ।

3. भारत में रबड़ बागान उद्योग के विकास के संचार समर्थन के रूप में बुलेटिन, पुस्तिकाओं, पर्चियों आदि का संपादन, मुद्रण एवं प्रकाशन ।

4. रबड़ खेती के नवीनतम विकासों के बारे में कृषकों को अवगत कराने हेतु सम्मेलनों, बैठकों एवं संगोष्ठियों का आयोजन ।

5. रबड़ विकास क्रियाकलापों में सामाजिक एवं स्वैच्छिक अभिकरणों जैसे बाहरी अभिकरणों की भागीदारी बनाना ।

प्रचार एवं जनसंपर्क प्रभाग ने इस अवधि के दौरान रबड़ खेती के विभिन्न पहलुओं पर निम्न लिखित पत्रिकाओं एवं प्रकाशन जारी किए ।

1. रबड मासिक

वर्ष के दौरान मासिक के 12 अंक प्रकाशित किए । परिचालन की स्थिति निम्न प्रकार हैः

औसत मासिक चंदा	:	14159
आजीवन चंदा	:	5946

2. **रबड़ स्टाटिस्टिकल न्यूज़**

वर्ष 2001-02 में रबड़ स्टाटिस्टिकल न्यूज़ के 12 अंक प्रकाशित किए ।

3. **प्रेस विज्ञप्ति**

प्रभाग से 54 प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी कीं ।

4. **विज्ञापन**

88 विज्ञापन (प्रदर्शन एवं वर्गीकृत विज्ञापन सहित) जारी किए ।

5. **आकाशवाणी**

प्रभाग के अधिकारियों द्वारा आकाशवाणी में दो भाषण रिकार्ड किए तथा जिनका प्रसारण किया गया ।

6. **संगोष्ठी एवं बैठकें**

बोर्ड, कंपनियों, रबड़ उत्पादक संघों, इन्टर मीडिया पब्लिसिटी कॉ ओर्डिनेशन समिति एवं आकाशवाणी से संबंधित 23 संगोष्ठियों, बैठकों एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारियों ने भाग लिया तथा भाषण दिया ।

7. **प्रदर्शनी**

प्रभाग ने 4 प्रदर्शनियों में भाग लिया - कूनूर, तोडुपुषा, कोट्टयम और कलमश्शेरी में ।

8. **आलेख**

प्रभाग के अधिकारियों ने विभिन्न दैनिकियों, कृषि मासिकों तथा "रबड़ मासिक" में 18 तकनीकी आलेख प्रकाशित किए ।

9. **इनसाइड रबड़ बोर्ड**

"इनसाइड रबड़ बोर्ड" के 3 अंक प्रकाशित किए ।

10. रबड़ ग्रोवर्स कम्पानियन 2002

"रबड़ ग्रोवर्स कम्पानियन 2002" की 9750 प्रतियों तथा "रबड़ एण्ड इट्स कल्टिवेशन" की 1000 प्रतियों का मुद्रण एवं वितरण किया गया ।

11. "रोड रबरण" पर पर्ची

प्रभाग ने मलयालम में रोड रबरण पर एक पर्ची प्रकाशित की ।

2. सतर्कता प्रभाग

लोक सेवा में स्वच्छता बनाए रखने तथा बोर्ड में भ्रष्टाचार निरोधक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में एक सतर्कता प्रभाग कार्यरत है जो सतर्कता के निवारक, खोजपरक तथा दण्डात्मक कार्रवाई करते हैं । आम जनता एवं प्रभावित व्यक्तियों से बोर्ड के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर भी प्रभाग कार्रवाई करते हैं । बोर्ड के कार्यालयों के उपयुक्त तरीके से कार्य करने से संबंधित पता लगाने हेतु प्रभाग आकस्मिक जांचें/निरीक्षण करते हैं । पता लगायी जानेवाली अनियमितताओं की सुधार कार्रवाई जल्द से जल्द की जाती है तथा इसकी युक्तियुक्त समाप्ति तक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सतर्कता प्रभाग ने क एवं ख वर्ग के 10 अधिकारियों तथा ग एवं घ वर्ग के 15 कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों के आधार पर कुल 25 शिकायतों पर पूछताछ/जांच की । सामान्य रूप से ये आरोप रबड़ वुड इंडिया प्रा.लि. के बिजलिकरण में अनियमितताएं, अधिक यात्रा भत्ता दावा करने के लक्ष्य से बढाए गए समय के साथ गलत निरीक्षण रिपोर्ट एवं दौरा रिपोर्ट की प्रस्तुति, आरक्षित श्रेणी में नियुक्ति प्राप्त करने के लक्ष्य से गलत आय प्रमाणपत्र की प्रस्तुति, सेवा में पदोन्नति मिलने के लक्ष्य से गलत उपाधि प्रमाणपत्र की प्रस्तुति, बोर्ड के निदेशों पर प्रतिक्रिया न करना तथा अप्राधिकृत अनुपस्थिति से जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा करना और चरित्रहीनता एवं विनिमेय उपकरणों की अस्वीकृति हेतु बोर्ड के कर्मचारियों पर न्यायालयों द्वारा अपराधी ठहराना आदि रहे । इन शिकायतों पर आवश्यक उचित तरीके की जांच की थी और जहाँ आवश्यक समझा वहाँ गलत करनेवाले बोर्ड अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हेतु सिफारिश की/उचित कार्रवाई की ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 6 पदधारियों के विरुद्ध कठिन दण्ड कार्रवाई तथा 1 पदधारी के विरुद्ध हल्की दण्ड कार्रवाई ली गयी ।

क एवं ख वर्ग स्तर के सभी अधिकारियों से 31.12.2001 के अनुसार अचल संपत्ति की वार्षिक विवरणी मांगी गयी थी । इस तरह अधिकारियों से प्राप्त विवरणियों पर उचित कार्रवाई की। सतर्कता प्रभाग अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 73 आवेदनों तथा चल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 90 आवेदनों पर कार्रवाई की ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 203 फाइलें/मामले सतर्कता प्रभाग को टिप्पणी/सलाह हेतु अंकित किये गए तथा समय के ही अन्दर इन पर उचित रूप से विचार किए गए तथा संबंधित प्रभागों/अनुभागों को आगे की उचित कार्रवाई हेतु प्रेक्षण/टिप्पणियों के साथ वापस किए ।

प्रभाग ने बोर्ड के कर्मचारियों से प्राप्त 2 पुनर्विचार प्रार्थनाओं पर आवश्यक कार्रवाई की तथा आगे की उचित कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक खंडवार टिप्पणियों एवं अन्य संबंधित कागज़ातों/दस्तावेजों के साथ भेज दिया ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार 31.10.2001 से 6.11.2001 तक की अवधि में बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिज्ञा लेकर, कार्यालय परिसर में और आसपास पोस्टर एवं बैनर लगाकर, बोर्ड के कर्मचारियों की बैठक एवं उनके लिए और कॉलेज छात्रों के लिए भाषण प्रतियोगिता चलाकर, विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र वितरित करके और विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में समापन समारोह आयोजित करके "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया गया ।

3. आन्तरिक लेखा परीक्षा

आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग के मुख्य है । अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में कार्यरत यह प्रभाग विभिन्न विभागों/प्रभागों/अनुभागों/कार्यालयों/स्थापनाओं की कार्यों व कार्य स्थितियों की जानकारी प्राप्त करने व नियंत्रित करे एवं उचित उपाय अपनाकर इनको ठीक करने का प्रमुख उपकरण है । प्रभाग विभिन्न विभागों को बोर्ड के कार्यकलापों सही की विश्लेषण, आंकन, सिफारिश एवं संगत टिप्पणियों से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त केरल के महा लेखाकार कार्यालय के लेखा परीक्षा विभाग एवं बोर्ड के बीच संपर्क कार्य भी करता है ।

बोर्ड के विविध कार्यालयों/संस्थापनाओं का निरीक्षण/लेखा परीक्षा, पेंशन/सेवानिवृत्ति/आमेलन मामलों का सत्यापन एवं विचारार्थ भेजे गए मामलों पर अध्यक्ष के निदेशानुसार विशेष लेखा

10. रबड़ ग्रोवर्स कम्पानियन 2002

"रबड़ ग्रोवर्स कम्पानियन 2002" की 9750 प्रतियों तथा "रबड़ एण्ड इट्स कल्टिवेशन" की 1000 प्रतियों का मुद्रण एवं वितरण किया गया ।

11. "रोड रबरण" पर पर्ची

प्रभाग ने मलयालम में रोड रबरण पर एक पर्ची प्रकाशित की ।

2. सतर्कता प्रभाग

लोक सेवा में स्वच्छता बनाए रखने तथा बोर्ड में भ्रष्टाचार निरोधक उपायों को कार्यान्वित करने के लिए अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में सतर्कता अधिकारी के नेतृत्व में एक सतर्कता प्रभाग कार्यरत है जो सतर्कता के निवारक, खोजपरक तथा दण्डात्मक कार्रवाई करते हैं । आम जनता एवं प्रभावित व्यक्तियों से बोर्ड के कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर भी प्रभाग कार्रवाई करते हैं । बोर्ड के कार्यालयों के उपयुक्त तरीके से कार्य करने से संबंधित पता लगाने हेतु प्रभाग आकस्मिक जांचें/निरीक्षण करते हैं । पता लगायी जानेवाली अनियमितताओं की सुधार कार्रवाई जल्द से जल्द की जाती है तथा इसकी युक्तियुक्त समाप्ति तक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान सतर्कता प्रभाग ने क एवं ख वर्ग के 10 अधिकारियों तथा ग एवं घ वर्ग के 15 कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों के आधार पर कुल 25 शिकायतों पर पूछताछ/जांच की । सामान्य रूप से ये आरोप रबड़ वुड इंडिया प्रा.लि. के बिजलिकरण में अनियमितताएं, अधिक यात्रा भत्ता दावा करने के लक्ष्य से बढाए गए समय के साथ गलत निरीक्षण रिपोर्ट एवं दौरा रिपोर्ट की प्रस्तुति, आरक्षित श्रेणी में नियुक्ति प्राप्त करने के लक्ष्य से गलत आय प्रमाणपत्र की प्रस्तुति, सेवा में पदोन्नति मिलने के लक्ष्य से गलत उपाधि प्रमाणपत्र की प्रस्तुति, बोर्ड के निदेशों पर प्रतिक्रिया न करना तथा अप्राधिकृत अनुपस्थिति से जानबूझकर कर्तव्य की उपेक्षा करना और चरित्रहीनता एवं विनिमेय उपकरणों की अस्वीकृति हेतु बोर्ड के कर्मचारियों पर न्यायालयों द्वारा अपराधी ठहराना आदि रहे । इन शिकायतों पर आवश्यक उचित तरीके की जांच की थी और जहाँ आवश्यक समझा वहाँ गलत करनेवाले बोर्ड अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हेतु सिफारिश की/उचित कार्रवाई की ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 6 पदधारियों के विरुद्ध कठिन दण्ड कार्रवाई तथा 1 पदधारी के विरुद्ध हल्की दण्ड कार्रवाई ली गयी ।

क एवं ख वर्ग स्तर के सभी अधिकारियों से 31.12.2001 के अनुसार अचल संपत्ति की वार्षिक विवरणी मांगी गयी थी । इस तरह अधिकारियों से प्राप्त विवरणियों पर उचित कार्रवाई की। सतर्कता प्रभाग अचल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 73 आवेदनों तथा चल संपत्ति के क्रय-विक्रय से संबंधित 90 आवेदनों पर कार्रवाई की ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 203 फाइलें/मामले सतर्कता प्रभाग को टिप्पणी/सलाह हेतु अंकित किये गए तथा समय के ही अन्दर इन पर उचित रूप से विचार किए गए तथा संबंधित प्रभागों/अनुभागों को आगे की उचित कार्रवाई हेतु प्रेक्षण/टिप्पणियों के साथ वापस किए ।

प्रभाग ने बोर्ड के कर्मचारियों से प्राप्त 2 पुनर्विचार प्रार्थनाओं पर आवश्यक कार्रवाई की तथा आगे की उचित कार्रवाई हेतु संबंधित प्राधिकारियों को आवश्यक खंडवार टिप्पणियों एवं अन्य संबंधित कागज़ातों/दस्तावेजों के साथ भेज दिया ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार 31.10.2001 से 6.11.2001 तक की अवधि में बोर्ड के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिज्ञा लेकर, कार्यालय परिसर में और आसपास पोस्टर एवं बैनर लगाकर, बोर्ड के कर्मचारियों की बैठक एवं उनके लिए और कॉलेज छात्रों के लिए भाषण प्रतियोगिता चलाकर, विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र वितरित करके और विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में समापन समारोह आयोजित करके "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" मनाया गया ।

3. आन्तरिक लेखा परीक्षा

आन्तरिक लेखा परीक्षा अधिकारी आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग के मुख्य है । अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में कार्यरत यह प्रभाग विभिन्न विभागों/प्रभागों/अनुभागों/कार्यालयों/स्थापनाओं की कार्यों व कार्य स्थितियों की जानकारी प्राप्त करने व नियंत्रित करे एवं उचित उपाय अपनाकर इनको ठीक करने का प्रमुख उपकरण है । प्रभाग विभिन्न विभागों को बोर्ड के कार्यकलापों सही की विश्लेषण, आंकन, सिफारिश एवं संगत टिप्पणियों से अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त केरल के महा लेखाकार कार्यालय के लेखा परीक्षा विभाग एवं बोर्ड के बीच संपर्क कार्य भी करता है ।

बोर्ड के विविध कार्यालयों/संस्थापनाओं का निरीक्षण/लेखा परीक्षा, पेंशन/सेवानिवृत्ति/आमेलन मामलों का सत्यापन एवं विचारार्थ भेजे गए मामलों पर अध्यक्ष के निदेशानुसार विशेष लेखा

परीक्षा चलाना आदि आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रभाग के मुख्य कार्य हैं । रिपोर्ट अवधि के दौरान देश भर फैले 52 कार्यालयों/संस्थापनाओं में आन्तरिक लेखा परीक्षा के निरीक्षण चलाये गये ।

वर्ष 2000-01 के बोर्ड के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, केरल द्वारा की गई तथा उनसे 36 खंडवाले लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई । रिपोर्ट में सम्मिलित 34 खंडों के उत्तर तैयार करके भेज दिए गए । 31.3.2002 के अनुसार वर्ष 2000-01 के 36 खंडों सहित लंबित लेखा परीक्षा खंडों की संख्या 87 है । वाणिज्य मंत्रालय के आन्तरिक लेखा परीक्षा स्कंध की निरीक्षण रिपोर्ट पर भी कार्रवाई प्रभाग द्वारा की जाती है । आज तक रिपोर्ट के नौ खंड लंबित है । शेष खंडों के उत्तर मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए । 68 पेंशन मामलों तथा वेतन निर्धारण, छुट्टी संराशीकरण, सेवा मामले आदि विषयों पर 94 अन्य मामलों सहित 162 मामलों में सलाह दी थीं ।

भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप अनुवर्ती कार्रवाईयों के द्वारा गाडियों के उपयोग एवं अनुरक्षण तथा ईंधन के उपभोग में मितव्ययता सुनिश्चित की जा सकी ।

संबंधित कार्यालयों/इकाइयों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करके स्टॉक के वार्षिक वास्तविक सत्यापन अद्यतन कर दिया गया तथा मरम्मत के अयोग्य सामग्रियों को बेचना सुनिश्चित कर दिया।

लंबित यात्रा भत्ता/छुट्टी यात्रा रियायत/आकस्मिक व्यय अग्रिमों के परिसमापन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की तथा बकाये रकम काफी हद तक कम की जा सकी ।

xxxxxxx

भाग - V
रबड़ अनुसंधान

कोट्टयम में मुख्यालय के साथ भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान (आर आर आई आई) की संस्थापना वर्ष 1995 में हुई । इसका मुख्य अनुसंधान प्रक्षेत्र 250 हे. में केरल राज्य के पत्तनमतिट्टा जिला के रान्नी में स्थित है । संस्थान के 13 क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन हैं जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिज़ोरम में फैले हुए हैं । उत्तर पूर्व के पाँच क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन मिलकर उत्तर पूर्वी अनुसंधान परिसर बनता है जिसका मुख्यालय अगर्तला में है। संस्थान में 129 वैज्ञानिक हैं तथा 328 समर्थक कर्मचारी । रबड़ प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, पौधा प्रजनन, जननद्रव्य, जैव प्रौद्योगिकी, शोषण, सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, पादप रोग विज्ञान, आर्थिकी एवं सस्य शरीरक्रिया विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य जारी रखे ।

उच्च फसलवाली उपजातियों को विकसित करने, जैवीय एवं अजैवीय दबाव, प्रजनन अध्ययन, शरीर रचना तथा कोशिका विज्ञान पर अनुसंधान कार्य निर्धारित समयानुसार प्रगति की । 8वीं वर्ष के टापिंग में आर आर आई आई 400 श्रेणी के नौ आशाजनक चयनों ने फसल में आर आर आई आई 105 को पीछे कर दिया । आशाजनक क्लोन आर आर आई आई 414, आर आर आई आई 417, आर आर आई आई 422, आर आर आई आई 429, और आर आर आई आई 430 अनुशंसित रोपण सामग्री के वर्ग III में सम्मिलित किए गए और इन क्लोनों के बड्ड ठूँठ की मुख्य मात्राएं रबड़ कृषकों को दे दीं । वर्ष 1993 के बडे पैमाने के परीक्षणों में 400 श्रेणी के अनुशंसित 5 क्लोनों में 4 ने आर आर आई आई 105 की तुलना में उच्चतर फसल दी । बहुविषयक मूल्यांकन परीक्षण में आर आर आई आई 5, पी बी 314, पी बी 312, पी बी 260, पी बी 255 तथा पी बी 280 ने आर आर आई आई 105 महत्वपूर्ण रूप से अधिक फसल का प्रदर्शन किया । महाराष्ट्र में उत्तर कोंकण में आर आर आई आई 208, पी बी 260 एवं आर आर आई आई 105 क्लोन उच्च उत्पादनवाले पाए गए ।

4426 परिरक्षित जंगली ब्राज़ीलियन जननद्रव्य एवं 177 देशी क्लोनों के परिरक्षण, लक्षण वर्णन व मूल्यांकन कार्य जारी रखे । 100 जंगली किस्मों पर विभिन्न स्थानों में 11 प्राथमिक मूल्यांकन परीक्षण जारी रखे । जंगली जननद्रव्य भण्डार के 58 किस्म जिनका संरक्षण शुरू में उत्तरपूर्वी क्षेत्र में किए थे जिनकी प्रतिकृति केरल के केन्द्रीय परीक्षण स्टेशन में तैयार की है । संघटक विश्लेषण किए 25 देशी क्लोनों में प्रतिक्रिया सूची के संदर्भ में आर आर आई आई 105 प्रथम स्थान पर आए । चयनित जीनरूपों का डी एन ए निष्कर्षण पूरा किया गया । 70 जंगली जननद्रव्य नमूनों के परिमाण निर्धारण एवं गुणता परीक्षण पूरा किए । 4 सूचनापरक कार्यों पर 39 जंगली किस्मों की नमूने झुंड पर आर ए पी डी प्रोफाइलिंग चलाए गए ।

जैव प्रौद्योगिकी में ट्रान्सजेनिक पौधों के विकास, प्ररोहाग्र संवर्धन, कायिक भ्रूणोद्भव, जीनों की पहचान आदि कार्य जारी रखे । कायिक भ्रूणोद्भव द्वारा प्राप्त करीब 300 पौदों को कठोर बना दिए तथा रोपण के लिए तैयार कर दिए । सूपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस जीन कोड से एकीकृत स्वस्थ ट्रान्सजेनिक पौधे "शीशे के घर" में बढ रहे हैं । जीन के साथ के ट्रान्सजेनिक कालस ने एस ओ डी (सू ऑसाइड डिस्म्यूटेस) एन्ज़ाइम को 50% अधिक व्यक्त किया । रबड़ दीर्घीकरण घटक के एन्ज़ाइम के लिए जीनोम डी एन ए एवं सी डी एन ए कोडों के अनुक्रम और बीटा-1, 3-ग्लूकनेस अलग किए ।

स्वाभाविक रबड़ की उत्पादन लागत कम करने के लिए अल्प आवृत्ति टापिंग बागवानों को आधिकारिक रूप से सिफारिश की । उनकी अच्छी प्रतिक्रिया रही । 20000 हे. क्षेत्र के करीब 30 एस्टेटों में इस प्रणाली का कार्यान्वयन शुरू किया है । अल्प आवृत्ति टापिंग प्रणाली के प्रक्षेत्र स्तर पर प्रतिक्रिया के विस्तृत आंकडे एकत्रित किये जा रहे हैं । उच्च पटल पर छोटी काट के अल्प आवृत्ति ऊर्ध्वमुखी टापिंग हेतु परीक्षण शुरू किया । फसल लेने की प्रगाढता को अधिकतम करने के लिए लाटेक्स निदान अध्ययन जारी रखा ।

सस्य विज्ञान एवं मृदा प्रभाग में 50 परीक्षण जारी रखे । अनुसंधान के क्षेत्र में अपतृण प्रबंधन, रोपण घनता, मृदा व जल संरक्षण, वृक्ष जाति समेत वार्षिक एवं बहुवर्षीय अन्तराफसलों को सम्मिलित करनेवाली फसलन प्रणाली, प्रभावी खाद प्रयोग आदि सम्मिलित हैं । प्रति हेक्टेयर 100 से 250 की दर पर गाद गड्ढे 5 से 13 टण मृदा प्रति वर्ष के संरक्षण में सहायक रहे । यह देखा गया कि पारंपरिक क्षेत्र में छोटे रबड़ पेडों की सिंचाई की आवश्यकता संभाव्य बाष्पन-बाष्पोत्सर्जन के 50% है । खाद के प्रयोग पर छोटी जोतों एवं बागानों को सलाह देने का कार्य जारी रखा । वर्ष के दौरान 8220 मृदा एवं 953 पत्रक नमूनों के विश्लेषण किए तथा करीब 5000 खाद अनुशंसाएं जारी की । मृदा एवं पत्रक परीक्षण के अलावा 15,950 लाटेक्स नमूनों का विश्लेषण शुष्क रबड़ संघटक के लिए तथा 107 लाटेक्स नमूनों का विश्लेषण बाष्पशील वसा अम्ल (वी एफ ए) संख्या के लिए किया ।

पादप रोग विज्ञान प्रभाग में इस अवधि के दौरान सभी 29 परीक्षण की अच्छी प्रगति हुई । बोर्डो पेस्ट के साथ रबड़ बीज तेल मिलाने से पिंक रोग के विरुद्ध सुरक्षा की अवधि बढायी जा सकती है। वी ए एम कवक से टीका लगाने से गंधक खादों की आवश्यकता 25% घटती हुई देखी गयी । यह पाया गया कि टापिंग पटल के शुष्कण प्रकोप का कम अणुभार के आर एन ए से संभाव्य संबंध हो सकता है ।

पादप शरीर की अनुसंधान परियोजनाओं ने इस अवधि के दौरान काफी प्रगति की । चूर्णिल आसिता का प्रकोप प्रकाश संश्लेषण को सुस्पष्ट रूप से रोकता है तथा कार्बोहाइड्रेट में अपक्षय भी होता है । कम तापमान सहनशीलता पर अध्ययन से पता चला है कि कुछ क्लोन कम तापमान एवं सरदी के विरुद्ध सहनशील है । सूखा के विरुद्ध सहनशीलता के अध्ययन के सिलसिले में संबंधित

एनज़ाइम मार्करों की पहचान की गयी है । दबाव एवं टापिंग पटल सूखेपन अध्ययन पर आणविक जीव विज्ञान अध्ययन चलाने हेतु आवश्यक अवसंरचनाएं विकसित करने के लिए कार्रवाई ली है ।

अवधि के दौरान रबड़ प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अनुसंधान परियोजनाओं में काफी प्रगति हुई । स्टेरीन रोपित स्वाभाविक रबड़ की उपरोपण क्षमता बढाने के प्रयास किये गये । पाइलट संयंत्र स्तर पर एनज़ाइमाटिक डी प्रोटिनाइस्ड स्वा.र.लाटेक्स (EDPNRL) की तैयारी की तथा जिसका विश्लेषण किया जा रहा है । अनुसंधान एवं विकास परीक्षण हेतु एक प्रमुख औद्योगिक ग्रूप को करीब 600 कि.ग्रा. एपोक्सिडाइस्ड स्वाभाविक रबड़ लाटेक्स (ENR-50) की पूर्ति की थी । रेडियेशन वल्कनीकृत स्वा.र.ला (RVNRL) के गुणों के पूरण के प्रभाव पर अध्ययन कार्य पूरा किया । शीट रबड़ की गुणता स्थिति के अध्ययन के सिलसिले में विभिन्न इलाकों से नमूनों के सामयिक एकत्रण एवं परीक्षण जारी रखे । प्रा.अ.स्टेशन दपचारी (महाराष्ट्र) एवं हीविया प्रजनन उप केन्द्र (HBSS) नेट्टना (कर्नाटक) में सौर-सह-धूम शुष्ककों की संस्थापना के कार्य पूरा किया । क्रचस में प्रयुक्त एक्सिल पैड एवं रबड़ ग्रिप के लिए उपयुक्त रबड़ मिश्रण को विकसित किया तथा एक लघु निर्माण उद्योग इकाई को इसकी तकनीकी जानकारी हस्तांतरित की है ।

आर्थिक अनुसंधान प्रभाग द्वारा चलाए गए अध्ययन से पता चला कि मुख्य स्वाभाविक रबड़ उत्पादक देशों की निर्यात आय में वृद्धि होने के बावजूद विश्व निर्यात आमदनी में प्रत्यास्थलकों व उत्पादों के हिस्से में गिरावट का प्रदर्शन किया है । अन्य एक अध्ययन से पता चला है कि केरल में रबड़ खेती के क्षेत्र में विस्तार अनुसंधान एवं विकास समर्थन रबड़ बोर्ड के विस्तार कार्यक्रम एवं सुरक्षित मूल्य व्यवस्था के कारण हुआ । एक सर्वेक्षण से मालूम हुआ कि मुख्य खेती प्रणाली जैसे खाद प्रयोग, रोग नियंत्रण, वर्षारक्षण, श्रमिकों के उपयोग आदि में स्वाभाविक रबड़ के कम भाव कारण प्रत्यक्ष कमी आयी है । केरल की छोटी जोतों के टापरों की स्थिति के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि टापर लोग अन्य कामों की ओर झुक रहे हैं ।

इस अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी भारत के अधीन प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, अगर्तला, गुआहटी, तुरा (मेघालय) एवं नागरकट्टा (उत्तर बंगाल) में सभी अनुसंधान कार्यों में अच्छी प्रगति हुई । अगर्तला के प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन में चाय एवं अनन्नास के साथ अन्तराफसल में अच्छी प्रगति हुई तथा जो पहले के परिणामों को पुष्ट करती भी है । क्लोन परीक्षण में पी बी 235, आर आर आई आई 203 एवं आर आर आई एम 600 के निष्पादन बेहतर देखे गये शोषण अध्ययन में विश्राम बिना तीन दिन में एक टापिंग (d/3) से सबसे अधिक फसल प्राप्त हुई । विवेकी खाद प्रयोग हेतु करीब 400 सिफारिशें दी गईं ।

प्रादेशिक अनुसंधान केन्द्र, गुआहटी में सभी परीक्षणों की अच्छी प्रगति हुई । आर आर आई आई 600, आर आर आई आई 203 एवं आर आर आई आई 118 के अच्छे निष्पादन जारी रहे । प्रति वर्ष एन$_{60}$पी$_{40}$के$_{40}$कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर तक उपज (2018 कि.ग्रा.प्रति हे.) में सकारात्मक प्रतिक्रिया हुई । शोषण अध्ययन के आंकडों से पता चला कि सबसे अधिक उपज 2 महीने के विश्राम से हर तीसरे दिन की टापिंग में प्राप्त हुई ।

प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, नागरकट्टा में एस सी ए टी सी 93-114 एवं हाइकेन-1 क्लोनों की अच्छी वृद्धि है । चाय तथा रबड़ की मिश्रित फसल में दोनों फसलों की वृद्धि संतोषजनक रही ।

प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, तुरा (मेघालय) में आर आर आई एम 600, पी बी 235, आर आर आई आई 203, आर आर आई आई 118, पी बी 311, आर आर आई आई 105 एवं पी बी 310 की वृद्धि अच्छी रही । आर आर आई एम 600, पी बी 235, आर आर आई आई 105, आर आर आई आई 203 एवं पी बी 311 के उपज निष्पादन अच्छे रहे ।

अन्य राज्यों के प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन तथा प्रजनन केन्द्रों के परीक्षणों की भी अच्छी वृद्धि हुई । दपचारी (महाराष्ट्र) के प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन में परिपक्व पेडों की आंशिक सिंचाई के प्रभाव पर पी ई टी के 20 प्रतिशत देखी गई । अवधि के दौरान सभी 10 चालू अनुसंधान परियोजनाओं ने अच्छी प्रगति हासिल की ।

प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, उडीसा (धेंकनाल) में आर आर आई एम 600 क्लोन ने सबसे अधिक मोटाई दिखाई । इस क्रम में इसके पीछे जी टी आई तथा आर आर आई आई 105 क्लोन हैं । प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, सुकमा (छत्तीसगढ) में चालू 7 परियोजनाओं की अच्छी प्रगति हुई। प्रादेशिक अनुसंधान स्टेशन, पडियूर (उत्तर केरल) में 10 चालू अनुसंधान परियोजनाएं हैं । नर्सरी पौधों की सिंचाई आवश्यकताओं संबंधी अध्ययन के अच्छे परिणाम निकले हैं । कर्नाटक के नेट्टना एवं तमिलनाडु के परलियार के हीविया प्रजनन उपकेन्द्रों में भी कार्यों में अच्छी प्रगति हुई ।

वर्ष 2001 की वार्षिक पुनरीक्षा बैठकें दो सत्रों में आयोजित कीं । अपने द्वारा चलाई जा रही परियोजना/परीक्षण की प्रगति पर हर वैज्ञानिक ने प्रस्तुति की । विभिन्न विषयों पर बाहरी विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे तथा मूल्यवान सुझाव दिए । संस्थान ने 12 अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित की जिनमें संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा 32 अनुसंधान लेख प्रस्तुत किए । पाँच निमंत्रित भाषणों का भी आयोजन किया था । आमंत्रितों में एक प्रोफ.सी एन आर राव थे । अवधि के दौरान इंडियन जर्नल ऑफ नाचुरल रबड़ रिसर्च के भाग 14 (सं.1) तथा वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्टों का प्रकाशन किया । रबड़ एवं संबंधी संगठनों की (272 सं.) एक निदेशिका तैयार की । इस अवधि के दौरान 154 पत्रिकाओं के लिए ग्राहकी दी तथा 51 उपहार/आदान-प्रदान स्वरूप प्राप्त की ।

परियोजना की तैयारी, अनुसंधान प्रणाली एवं आंकडों के विश्लेषण पर 3 बैचों में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया । जिसमें भा.र.ग.सं. मुख्यालय एवं प्रादेशिक स्टेशनों से 60 वैज्ञानिक भाग लिए ।

XXXXXXX

भाग VI
प्रसंस्करण एवं उपज विकास

इस वर्ष की विशेषता देश के रबड़ उत्पादन क्षेत्र के आगे नयी चुनौतियाँ खडा करके 1/4/01 से स्वाभाविक रबड़ की आयात पर लगी परिमाण नियंत्रण को हटा देना रही । देश के स्वाभाविक रबड़ उत्पादकों को अन्य स्वाभाविक रबड़ उत्पादक देशों से दोनों गुणवत्ता एवं भावों से मुकाबला करना है। उपभोगी उद्योग मात्र देशी बाज़ार पर निर्भर न रहने के कारण उत्पादन क्षेत्र को निर्यात बाज़ार में भी प्रवेश करना चाहिए ।

चालू वर्ष में विभाग का मुख्य ध्यान केन्द्र इस अति आवश्यक विषय पर रहा । गुणवत्ता सुधारने, लागत कम करने तथा परिस्थिति संरक्षण उपायों को सशक्त करने हेतु टी एस आर फैक्टरियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना अनुमोदनार्थ अगस्त 2001 में भारत सरकार को प्रस्तुत की । योजना में एक छोटा संघटक रबड़ उत्पादक संघ क्षेत्र के रबड़ काष्ठ प्रसंस्करण फैक्टरियों को गुणता सुधार एवं मूल्य वृद्धि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भी है । भारत सरकार द्वारा 5/2/02 को वर्ष 01-02 के दौरान कार्यान्वित करने हेतु योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी । 62 आवेदन प्राप्त हुए तथा 6 टी एस आर फैक्टरियों और एक रबड़ काष्ठ प्रसंस्करण इकाई को वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता के रूप में 48.03 लाख रुपये निर्मुक्त किये ।

बोर्ड द्वारा पहले से प्रचालित एक योजना के अधीन तीन टी एस आर फैक्टरियों को गुणवत्ता सुधारने एवं आई एस ओ 9000/आई एस ओ 14000 प्रणाली के प्रमाणन हेतु वित्तीय सहायता के रूप में 790,900 रु. निर्मुक्त किए ।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट स्वाभाविक रबड़ की गुणता मानक सुधारने के लिए कदम उठाये गए तथा टी एस आर प्रसंस्करणकर्ताओं, भारतीय मानक ब्यूरो, रबड़ बोर्ड एवं उपभोग उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक आपसी विचार विमर्श बैठक का आयोजन किया ।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उनकी विशेषज्ञ समिति में संशोधित टी एस आर के मानक प्राप्त होने के लिए आगामी कार्रवाई की । रिब्ड धूमित शीटों के लिए तकनीकी मानक नहीं रहने के कारण ग्रीन बुक के आधार पर मसौदा मानक तैयार किए तथा अंगीकार हेतु भारतीय मानक ब्यूरो को प्रस्तुत किया ।

गुणवत्ता सुधारने तथा उन्हें निर्यात बाज़ार में प्रवेश करने के लिए सुसज्जित कराने हेतु प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ कुछ बैठकें आयोजित कीं ।

भारत सरकार ने रबड़ नियमों का संशोधन किया जिससे बोर्ड के अधीन के अनुज्ञप्तधारी ही स्वाभाविक रबड़ की आयात कर सकते हैं तथा 12/12/01 से ऐसे आयातित रबड़ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार के होना चाहिए । दिनांक 19/12/01 अधिसूचना जारी करके कोलकत्ता एवं विशाखपट्टनम, समुद्री बन्दरगाहों को देश में स्वाभाविक रबड़ के प्रवेश हेतु प्रवेश द्वारा नामित किया गया । इन बंदरगाहों द्वारा आयातित रबड़ का निरीक्षण विभाग के अधिकारियों ने किया तथा गुणवत्ता की जांच हेतु विश्लेषण के लिए नमूने एकत्रित किए । 8/1/02 से 31/3/02 तक निम्न प्रकार से कोलकत्ता तथा विशाखपट्टनम बन्दरगाहों में कुल 7090.79 मे.ट.रबड़ का निरीक्षण किया गया तथा क्लियरिंग किया गया ।

श्रेणी	क्लियर की गई मात्रा (मे.ट.)
ब्लोक रबड़	3188.57
आर एस एस	3736.00
पी एल सी व स्किम	166.40
लाटेक्स	नहीं
योग	**7090.97**

60 मेट्रिक टण ब्लॉक रबड़ भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के विरुद्ध पाए गए तथा जिसे उत्पाद शुल्क द्वारा क्लियरिंग हेतु अनुशंसा नहीं दी ।

देश के निर्यात के लिए रखे रबड़ की गुणवत्ता की भी जांच विभाग ने की । बोर्ड द्वारा पहले से प्रचालित एक योजना के अन्तर्गत 6 निर्यातकों को ब्लोक रबड़ एवं सांद्रीकृत लाटेक्स के निर्यात हेतु प्रोत्साहन के रूप में 9,29,400 रु. दिए गए ।

निदर्शन एवं प्रशिक्षण के लिए विश्व बैंक सहायता परियोजना के अधीन संस्थापित आदर्श टी एस आर फैक्टरी में अप्रैल 2001 से दो पारी में परीक्षण प्रचालन शुरू किए । नवंबर 2001 से तीन पारियों में प्रचालन प्रारंभ किये । निम्न गुणवत्ता के रबड़ शीटों के साथ अच्छी श्रेणी के रबड़ मिलाकर ब्लोक रबड़ की गुणवत्ता सुधारने पर फैक्टरी का मुख्य ध्यान है । वर्ष के दौरान फैक्टरी में 828 मे.टण ब्लॉक रबड़ का उत्पादन किया । वर्ष के दौरान फैक्टरी को आई एस ओ 9002 प्रमाणन प्राप्त हुआ । अच्छी गुणवत्ता के कारण इस फैक्टरी के रबड़ को बाज़ार में अधिक मूल्य प्राप्त हुआ । ब्लॉक रबड़ प्रक्रमण में कुल पुनःचक्रण के लिए फैक्टरी ने बहिस्राव उपचार प्रणाली का निदर्शन किया । गुणवत्ता सुधारने तथा लागत कम करने के लिए नवीकरण के लिए अन्य ब्लॉक रबड़ प्रसंस्करण फैक्टरियों को एक नमूने के रूप में यह फैक्टरी ने कार्य किया । फैक्टरी में

संस्थापित क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकी । कमी के कारणों की पहचान की गई है तथा उन्हें सुधारने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं ।

केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कुल पुनः चक्रण प्रणाली पर कार्यरत इसके बहिस्राव उपचार संयंत्र के लिए आदर्श टी एस आर फैक्टरी को एक प्रशंसा पत्र दिया ।

विभाग ने सामान्य निरीक्षणों द्वारा प्रक्रमणकर्ताओं द्वारा उत्पादित टी एस आर की गुणवत्ता की जांच जारी रखी । वर्ष के दौरान कुल 534 निरीक्षण चलाए गए तथा भा.मा.ब्यू. प्रमाणन योजना के अधीन आनेवाले प्रसंस्करणकर्ताओं के मामले में 261 निरीक्षण रिपोर्ट भा.मा.ब्यू. को भेज दीं । जहाँ कम गुणवत्ता के मामले देखे गए, वहाँ आवश्यक कदम उठायी गयी । रबड़ प्रसंस्करणकर्ताओं एवं उपभोक्ताओं के अपने नमूने बोर्ड के केन्द्रीय प्रयोगशाला में जांच करने की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी । अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय राउंड रोबिन जांचों में प्रयोगशाला भाग लिए । प्रक्रमणकर्ताओं की अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु 6 आवेदनों पर विभाग ने कार्रवाई की ।

सामूहिक प्रक्रमण केन्द्रों द्वारा रबड़ उत्पादक संघ/सहकारी समिति स्तर पर गुणवत्तायुक्त शीट रबड़ के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 18 लाभभोगियों को वित्तीय सहायता के रूप 3,86,694 रु. निर्मुक्त किए । रबड़ के प्रसंस्करण एवं विपणन में लगे रबड़ उत्पादक संघ संयुक्त क्षेत्र के कंपनियों एवं सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए 14 लाभान्वितों को 59,13,640 रु. शेयर पूंजी के रूप में निर्मुक्त किए । रबड़ के निम्नतम सांविधिक मूल्य की घोषणा के उपरान्त बाज़ार में कायम रही विशेष स्थिति में तथा रबड़ के निर्यात को सरल बनाने के लिए र उ सं संयुक्त क्षेत्र कंपनियों को अपनी प्रक्रमण एवं व्यापार गतिविधियाँ सुशक्त करने के लक्ष्य से ह्रस्वावधि ऋण एवं कारगार पूँजी ऋण प्रदान किये कए । 16 कंपनियों को 234.5 लाख रुपये दिए गए ।

विश्व बैंक सहायता परियोजना के अधीन संस्थापित रबड़ काष्ठ परीक्षण प्रयोगशाला में प्रक्रमणकर्ताओं को परीक्षण की सुविधाएं प्रदान की गयीं । इस प्रकार छः प्रक्रमणकर्ताओं से प्राप्त नमूनों की जांच वर्ष के दौरान की गयी । प्रयोगशाला ने आदर्श रबड़ काष्ठ फैक्टरी में विनिर्मित दर्वाज़ों का भी परीक्षण इसकी भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों से अनुरूपता की जांच हेतु किया गया । काष्ठ की गुणवत्ता पर उद्दीपन के प्रभाव जानने के लिए काष्ठ प्रयोगशाला ने अनुसंधान विभाग के साथ एक अध्ययन शुरू किया है । कुछ अन्य परियोजनाएं भी शुरू कीं ।

आदर्श रबड़ काष्ठ फैक्टरी नवंबर 2001 में चालू किया गया । फैक्टरी द्वारा विनिर्मित फिंगर जोइन्टेंड एड्ज ग्लूड बोर्ड बाज़ार में आ गया है ।

विभाग ने राष्ट्रीय बाज़ार में रबड़ काष्ठ को प्रोत्साहित करने का कार्य जारी रखा तथा बैंगलूर में (इंडिया इंटेरनाशनल फर्नीचर फेयर, फरवरी 2002) और अन्य एक दिल्ली में (सोसाइटी इन्टीरियर्स, सितंबर 2001) दो प्रमुख राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिए । फर्नीचर एवं इन्टीरियरों में रबड़ काष्ठ के प्रयोग के निदर्शन के लिए नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बनाए जा रहे राष्ट्रीय

डिज़ाइन संस्थान - भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन शो केस डिज़ाइन के इंटीरियर कार्य हेतु राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान को अंगुली से जोडे बोर्ड दिए गए । रबड़ काष्ठ के उत्पाद सजावट हेतु राजभवन, रांची, झारखंड राज्य को भेज दिए गए । वास्तुकारों एवं निर्णय लेनेवालों की एक बैठक इसे प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में आयोजित की । मेट्रोवुड के साथ मिलकर व्यापारियों की एक बैठक बैंगलूर में आयोजित की ।

रबड़ काष्ठ प्रोत्साहन हेतु बोर्ड सर्वप्रथम रूप में दो अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिए – एक्सपो इंडिया, साओ पॉलो, ब्राज़ील, 25-29 सितंबर, 2001, एवं ओर्लांडो में फ्लोरिडा इंडस्ट्रियल वुडवर्किंग एक्सपो, एफ एल, अमरिका 30 नवंबर व 1 दिसंबर 2001 । इनके परिणाम प्रोत्साहजनक रहे ।

रबड़ बोर्ड के विभिन्न केन्द्रों में विभाग ने सिविल एवं बिजली निर्माण कार्य किए । विभाग ने रबड़ एवं रबड़ काष्ठ प्रक्रमणकर्ताओं और उद्यमियों को रबड़ एवं रबड़ काष्ठ प्रसंस्करण में सलाहकार सेवा प्रदान की गयी ।

xxxxxxx

भाग VII
प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श

विभाग के अधीन दो प्रभाग हैं याने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रभाग एवं देश के रबड़ उत्पाद विनिर्माण उद्योग को तकनीकी सहायता देने हेतु तकनीकी परामर्श प्रभाग

क. प्रशिक्षण प्रभाग

रबड़ प्रशिक्षण केन्द्र कोट्टयम से आठ कि.मी. पूर्व पर (पुतुप्पल्ली के पास) भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान के बगल में स्थित है । यह 3710 वर्ग मीटर क्षेत्र के चित्रोपम भवन में नवीनतम सुविधायुक्त 5 अध्यापन हाल में स्थित है । इस केन्द्र में 30 भागीदारों को रहने की सुविधा वाले छात्रावास है । इस केन्द्र में पुस्तकालय, संग्रहालय एवं ऑडिटोरियम भी हैं । प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रबड़ प्रसंस्करण एवं उत्पाद विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्र में दो निदर्शन प्रयोगशालाएं भी हैं ।

मुख्य रूप से प्रशिक्षण के लिए लक्षित वर्ग ये हैं:-

- कृषक
- प्रबंधक/अधीक्षक
- रबड़ उत्पादक संघ
- रबड़ विपणन समितियाँ
- रबड़ व्यापारी
- रबड़ प्रसंस्करणकर्ता
- रबड़ उत्पाद निर्माता
- उद्यमी
- रबड़ एवं रबड़ उत्पाद निर्यातक
- उत्पादन प्रबंधक
- गुणता नियंत्रण प्रबंधक
- महिला सहित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग
- विद्यार्थी
- विदेशी भागीदार

डिज़ाइन संस्थान - भारत व्यापार प्रोत्साहन संगठन शो केस डिज़ाइन के इंटीरियर कार्य हेतु राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान को अंगुली से जोडे बोर्ड दिए गए । रबड़ काष्ठ के उत्पाद सजावट हेतु राजभवन, रांची, झारखंड राज्य को भेज दिए गए । वास्तुकारों एवं निर्णय लेनेवालों की एक बैठक इसे प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में आयोजित की । मेट्रोवुड के साथ मिलकर व्यापारियों की एक बैठक बैंगलूर में आयोजित की ।

रबड़ काष्ठ प्रोत्साहन हेतु बोर्ड सर्वप्रथम रूप में दो अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिए -- एक्सपो इंडिया, साओ पॉलो, ब्राज़ील, 25-29 सितंबर, 2001, एवं ओर्लांडो में फ्लोरिडा इंडस्ट्रियल वुडवर्किंग एक्सपो, एफ एल, अमरिका 30 नवंबर व 1 दिसंबर 2001 । इनके परिणाम प्रोत्साहजनक रहे ।

रबड़ बोर्ड के विभिन्न केन्द्रों में विभाग ने सिविल एवं बिजली निर्माण कार्य किए । विभाग ने रबड़ एवं रबड़ काष्ठ प्रक्रमणकर्ताओं और उद्यमियों को रबड़ एवं रबड़ काष्ठ प्रसंस्करण में सलाहकार सेवा प्रदान की गयी ।

xxxxxxx

भाग VII
प्रशिक्षण एवं तकनीकी परामर्श

विभाग के अधीन दो प्रभाग हैं याने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रभाग एवं देश के रबड़ उत्पाद विनिर्माण उद्योग को तकनीकी सहायता देने हेतु तकनीकी परामर्श प्रभाग

क. प्रशिक्षण प्रभाग

रबड़ प्रशिक्षण केन्द्र कोट्टयम से आठ कि.मी. पूर्व पर (पुतुप्पल्ली के पास) भारतीय रबड़ गवेषण संस्थान के बगल में स्थित है । यह 3710 वर्ग मीटर क्षेत्र के चित्रोपम भवन में नवीनतम सुविधायुक्त 5 अध्यापन हाल में स्थित है । इस केन्द्र में 30 भागीदारों को रहने की सुविधा वाले छात्रावास है । इस केन्द्र में पुस्तकालय, संग्रहालय एवं ऑडिटोरियम भी हैं । प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रबड़ प्रसंस्करण एवं उत्पाद विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण देने हेतु केन्द्र में दो निदर्शन प्रयोगशालाएं भी हैं ।
मुख्य रूप से प्रशिक्षण के लिए लक्षित वर्ग ये हैं:-

- कृषक
- प्रबंधक/अधीक्षक
- रबड़ उत्पादक संघ
- रबड़ विपणन समितियाँ
- रबड़ व्यापारी
- रबड़ प्रसंस्करणकर्ता
- रबड़ उत्पाद निर्माता
- उद्यमी
- रबड़ एवं रबड़ उत्पाद निर्यातक
- उत्पादन प्रबंधक
- गुणता नियंत्रण प्रबंधक
- महिला सहित अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग
- विद्यार्थी
- विदेशी भागीदार

रबड़ प्रशिक्षण केन्द्र के वर्ष 2001-02 की मुख्य उपलब्धियाँ:-

- श्रीलंका के 4 भागीदारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया ।
- भारतीय वायु सेना के अधिकारियों के लिए रबड़ उत्पाद विकास एवं परीक्षण पर विशेष प्रशिक्षण।
- निदर्शन प्रयोगशालाओं को चालू किया ।
- (i) लाटेक्स आधारित उद्योग एवं (ii) शुष्क रबड़ आधारित उद्योग पर दो विडियो फिल्मों का निर्माण किया।
- विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तरगत विभिन्न विषयों पर 3808 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया ।
- श्रीलंका के भागीदारों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु एक प्रशिक्षण मानुअल का संपादन किया।
- विपणन प्रबंधन पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया गया ।

वित्त वर्ष 2001-02 के दौरान चलाये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

कूट सं.	प्रशिक्षण विवरण	अवधि	बैचों की संख्या	भागीदारों की संख्या	भागीदार
अन्त	अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	5	1	4	श्रीलंका के प्रबंधक लोग
र.खे-01	रबड़ खेती एवं बागान प्रबंधन	10	1	11	अलहबाद विश्व विद्यालय से कृषि विद्यार्थी
र.खे-02	खेती एवं प्रसंस्करण पर ह्रस्वावधि प्रशिक्षण	3	1	15	अगर्तला से अनुसूचित जन जाति विद्यार्थी
र.प्र-01	रबड़ प्रसंस्करण एवं गुणता नियंत्रण	5	2	19	के एफ डी सी, सुल्लिया तथा अन्य दिलचस्प व्यक्ति
र.प्र-02	रबड़ शीट श्रेणीकरण एवं तैयारी पर प्रशिक्षण	3	5	61	रबड़ व्यापारी/कृषक
	कच्चे रबड़ एवं लाटेक्स परीक्षण पर विशेष प्रशिक्षण	10	1	2	सी एफ सी चंगनाश्शेरी के तकनीकी अधिकारी
	स्वाभाविक रबड़ के विपणन योग्य रूप पर प्रशिक्षण	2	1	1	नेहरू महाविद्यालय कोयंबत्तूर के विद्यार्थी
	रबड़ शीट श्रेणीकरण एवं तैयारी पर प्रशिक्षण	1	1	13	राज्य भंडार निगम के व्यक्ति
	समग्र गुणता नियंत्रण एवं आई एस ओ 9000 प्रणाली पर प्रशिक्षण	3	1	17	रबड़ प्रसंस्करणकर्ता एवं बोर्ड के अधिकारी

बावि 01	विपणन प्रबंधन पर प्रशिक्षण	4	1	15	रबड़ बोर्ड कंपनियों व कूडरंजी र उ संघ सदस्यों के प्रबंध निदेशक
र वि 01	लाटेक्स उत्पाद विनिर्माण पर ह्रस्वावधि प्रशिक्षण	5	4	69	उद्यमी/उद्योगपति
र वि 02	शुष्क रबड़ उत्पाद विनिर्माण पर ह्रस्वावधि प्रशिक्षण	5	1	7	उद्यमी/उद्योगपति
र वि 03	गुब्बारा निर्माण पर विशेष प्रशिक्षण	8	4	80	मतिलकम पंचायत, त्रिश्शूर के लोग
	रबड़ परीक्षण एवं गुणता नियंत्रण पर विशेष प्रशिक्षण	5	2	6	हाईटेक, कोयंबत्तूर एवं एन ए डी आलुवा के व्यक्ति
	कयर फॉम निर्माण पर विशेष प्रशिक्षण	3	1	1	रबको फैक्टरी के रसायनज्ञ
	रबड़ उत्पाद विनिर्माण पर विशेष प्रशिक्षण	10	1	10	भारतीय वायु सेना, नागपुर के अधिकारी
	हवाई चप्पल निर्माण पर विशेष प्रशिक्षण	4	1	2	क्यूब इंडिया रबड़ एरणाकुलम
	रबड़ लाइनिंग पर विशेष प्रशिक्षण	4	1	1	मीरा रबड़ इंडस्ट्रीज़, तिरुनेलवेली
	रबड़ परीक्षण पर विशेष प्रशिक्षण	4	1	3	हिन्दुस्तान कोलास, चेन्नै
सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम					
सा.प्र 01	मधुमक्खी पालन पर ह्रस्वावधि प्रशिक्षण	1	3	103	कृषक/दिलचस्प व्यक्ति
सा.प्र 02	ककुरमुत्ता खेती पर ह्रस्वावधि प्रशिक्षण	1	3	67	कृषक/दिलचस्प व्यक्ति
सा.प्र 03	मधुमक्खी पालन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	1	3	42	कर्मचारी/त्रिपुरा के जनजातीय कृषक
वि प्र	क) मधुमक्खी पालन एवं शीट वर्गीकरण पर विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण	1	59	1421	र उ सं. के सदस्य/कृषक
	ख) र.उ.सं. केन्द्रों में कीट प्रबंधन पर प्रशिक्षण	1	2	16	र उ सं. के सदस्य

क प्र	बोर्ड के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण				
	1) वैज्ञानिकों के लिए परियोजना तैयारी, अनुसंधान प्रणाली	3	4	76	बोर्ड के कर्मचारी
	2) कनिष्ठ सहायकों के लिए प्रशिक्षण	15	1	14	
	3) कैंटीन कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण	1	1	33	
	4) अनुभाग अधिकारी एवं सहायक अनुभाग अधिकारियों के प्रशिक्षण	5	1	19	
शि 01	रबड़ प्रौद्योगिकी पर ह्स्वावधि प्रशिक्षण	5	1	25	वी एच एस ई विद्यार्थी
शि 02	उत्पाद विनिर्माण पर ह्स्वावधि प्रशिक्षण	10	1	27	बी टेक विद्यार्थी
शि 03	परियोजना कार्य	3 महीने	-	2	एम एस सी पॉलिमर विद्यार्थी
सं प्र	दौरा सह प्रशिक्षण				
	क) शास्त्रदर्शन	1	54	1053	कृषक/दर्शक
	ख) टा प्र स्कूल	1	34	573	र उ सं सदस्य/टा प्र स्कूल
	योग		**198**	**3808**	

ख तकनीकी परामर्श प्रभाग

देश में रबड़ माल विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु तकनीकी परामर्श प्रभाग तकनीकी सहायता प्रदान करता है । रबड़ आधारित उद्योगों की संस्थापना हेतु उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान करना, रबड़ उत्पादों को विकसित करना, विद्यमान इकाइयों की उत्पादन समस्याएं सुलझाना तथा रबड़ रसायनों/रबड़ सम्मिश्रों/उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय मानकों के आधार पर जांच द्वारा गुणता नियंत्रण आदि इस प्रभाग के मुख्य कार्यकलाप हैं । रबड़ आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, बाज़ार सर्वेक्षण रिपोर्टों, व्यापार निदेशिकाओं की तैयारी आदि जैसे कार्यकलाप भी प्रभाग करते हैं । स्वाभाविक रबड़ के उपभोग बढाने के लक्ष्य से वर्तमान में प्रभाग रबड़ उद्योग पार्कों की संस्थापना कार्य में लगा हुआ है। कोची में रबड़ पार्क परियोजना का कार्यान्वयन प्रगति में है । 45 एकड भूमि का विकास किया गया तथा उसमें 30 एकड आंबटन हेतु तैयार है । मलेशिया के सहयोग से गुब्बारा इकाई की स्थापना हेतु 7 एकड भूमि का आबंटन केरला स्टेट को-ऑपरेटीव रबड़ मार्केटिंग फेडरेशन लि. कोची को कर दिया गया है । 4-5 प्लॉट आबंटन हेतु बातचीत के

स्तर पर हैं । 110 के वी बिजली सब् स्टेशन एवं अन्य सुविधाओं की संस्थापना की जा रही है । संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके ऐसे पार्कों की संस्थापना तमिलनाडु एवं त्रिपुरा राज्यें में भी करने में प्रभाग लगा हुआ है ।

स्वाभाविक रबड़ के निर्यात को प्रोत्साहित करने में भी प्रभाग सक्रिय था और वर्ष 2001-02 के दौरान भारत से 7000 मेट्रिक टण स्वाभाविक रबड़ के निर्यात में प्रभाग सहायक भी रहा । स्वाभावकि रबड़ के निर्यात हेतु सहायता स्वरूप निर्यातकों को 2.36 करोड रुपये की प्रतिपूर्ति की। ई पी सी एवं उत्पत्ति से संबंधित प्रमाणपत्र संबंधी कार्यप्रणालियाँ जारी रखीं ।

वर्ष के दौरान भी रोड रबरण योजना जारी की । प्रभाग ने सीस्मिक बियरिंग के उत्पादन एवं परीक्षण पर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर चेन्नै के साथ एक सहयोगी परियोजना शुरू की है तथा जल के निस्यंदन को निम्नतम करने के लिए नहर में स्वाभाविक रबड़ लाटेक्स से लाइनिंग देने की संभावनाओं के अध्ययन पर केरल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट, तृश्शूर के साथ अन्य एक परियोजना शुरू की है ।

रिपोर्ट अवधि के दौरान हासिल वास्तविक प्रगति निम्न प्रकार से हैं:-

1. तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट	18 सं.
2. तकनीकी सहायता प्रदत्त	45 इकाई
3. रबड़ उत्पादों का विकास	45 इकाई
4. रबड़/रबड़ मिश्रण/उत्पादों की करीब 520 इकाइयों से परीक्षण	6250 पारामीटर 1585 नमूनों से
5. चलाए गए मूल्यांकन	80 नमूने
6. प्रदत्त विपणन सहायताएं	160 इकाइयाँ
7. एकत्रित परामर्श शुल्क	8,45,000/- रु.

त्रिपुरा फोरेस्ट डेवलपमेंट एण्ड प्लांटेशन कोर्पोरेशन लि., अगर्तला को प्रसंस्करण-सह-उपज विकास केन्द्र की स्थापना हेतु परामर्शक सहायताएँ प्रदान कीं ।

xxxxxxx

भाग VIII
वित्त एवं लेखा विभाग

लेखा प्रणाली का रूपायन एवं प्रचालन, बजट तैयार करना, वित्तीय प्राक्कलन एवं रिपोर्ट, बजट नियंत्रण का पालन, प्रभावी निधि प्रबंधन, प्रणालियों व प्रक्रियाओं की स्थापना एवं रख रखाव, आन्तरिक लेखा परीक्षा की निगरानी एवं संवैधानिक लेखा परीक्षा, वित्तीय उपयुक्तता एवं कारोबार की नियमितता, कंप्यूटर प्रयोगों का निरीक्षण, लागत नियंत्रण की निगरानी, परियोजनाओं/योजनाओं का मूल्यांकन, कर संबंधी कार्य आदि वित्त एवं लेखा विभाग के प्रमुख कार्य हैं । वर्ष के दौरान विभाग ने निम्न लिखित कार्य किये ।

1. वार्षिक बजट, निष्पादन बजट, विदेशी यात्रा बजट आदि की तैयारी और बजट नियंत्रण का पालन ।
2. बोर्ड के मंजूर बजट के अनुसार धन का आहरण एवं संवितरण ।
3. बोर्ड के लेखों का रख-रखाव, वार्षिक लेखा व तुलन पत्र की तैयारी, महालेखाकर, केरल द्वारा लेखा परीक्षा के लिये लेखों का प्रस्तुतीकरण और लेखापरीक्षा किये गये लेखे रबड़ बोर्ड/मंत्रालय/संसद को प्रस्तुत करना ।
4. समय समय पर भारत सरकार को अनुदान की मांग प्रस्तुत करना, भारत सरकार से निधि स्वीकार करना तथा इसकी अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करके वित्तीय प्रबंधन ।
5. वित्तीय औचित्य एवं विनिमयन की नियमितता पर सलाह देना और भुगतान नियमित करना।
6. प्राकृतिक रबड़ के मूल्य निर्धारण करने में और उत्पादन लागत निश्चित रूप से जानने में वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा को सहायता देना ।
7. परियोजना रिपोर्ट एवं योजनाओं के लिए वित्तीय विवरणियों की तैयारी ।
8. केन्द्रीय आय कर, कृषि आय कर एवं बिक्री कर मामलों से संबंधित बोर्ड का कार्य निष्पादन।
9. रबड़ बोर्ड एवं रबड़ उत्पादक संघों द्वारा अभिवर्द्धित कंपनियों के कार्यकलापों का समन्वय करना ।
10. वित्तीय लेखे, वेतन रोल आदि के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत डाटा प्रोससिंग ।
11. समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के आधार पर कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य हकदारों का आहरण एवं संवितरण ।
12. पेंशन निधि एवं सामान्य भविष्य निधि का प्रबंधन तथा उससे संवितरण का नियमन ।
13. कंप्यूटरीकरण एवं बोर्ड के सभी विभागों से नेट संपर्क स्थापित करने की योजना का कार्यान्वयन ।

वर्ष 2000-2001 एवं 2001-02 के वार्षिक लेखे

वर्ष 2000-2001 के लिये वार्षिक लेखे तैयार किये और निश्चित समय में ही महालेखाकार, केरल को भेज दिये । महालेखाकार, केरल से प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा प्रमाण पत्र के साथ बोर्ड को प्रस्तुत किया तथा निश्चित समय में ही केन्द्र सरकार को भेज दिया था। वर्ष 2001-02 के वार्षिक लेखे भी विहित अवधि में महालेखाकार केरल को प्रस्तुत किए ।

2001-02 का संशोधित प्राक्कलन और 2002-03 का बजट प्राक्कलन

2001-02 के लिये संशोधित बजट और 2002-03 के लिये बजट प्राक्कलन समय पर तैयार किये तथा सरकार को प्रस्तुत किये । 2001-02 के लिये 70 करोड रु. के प्लान एवं 15.42 करोड रु. नोन-प्लान दोनों को मिलाकर अनुमोदित बजट 85.42 करोड रु. था । इसके बदले इस वर्ष का वास्तविक खर्च 76.18 करोड रु. था (61.63 करोड रु. प्लान एवं 14.55 करोड रु. गैर प्लान) । वर्ष 2002-03 के लिये अनुमोदित बजट 113.31 करोड रु. है । जिसमें 98.31 करोड रुपये योजना (80 करोड बजट समर्थन एवं 18.31 करोड आंतरिक संसाधन एवं प्रारंभिक शेष) एवं 15 करोड रुपये गैर योजना (बजट समर्थन 10.50 करोड तथा 4.50 करोड आंतरिक संसाधन) के सम्मिलित है ।

निधियों का प्रबंधन

(i) सामान्य निधि

वर्ष 2001-02 के दौरान बजट समर्थन के रूप में सरकार से 79.50 करोड रु. प्राप्त हुए। आंतरिक संसाधन लगभग 9.92 करोड रु. था। वर्ष का कुल व्यय 76.18 करोड रु. था ।

(ii) सामान्य भविष्य निधि/पेंशन निधि

2002 मार्च 31 को सामान्य भविष्य निधि में 1622 लाख रु. और पेंशन निधि में 1256.79 लाख रु. बाकी थे । अधिकतम प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए निधियों के संचय का निवेश किया था। बोर्ड में 2228 सा.भ.नि.खाते हैं । वर्ष के दौरान 507 सेवा निवृत्तों को पेंशन दिये गये ।

(iii) लागत लेखे

वित्त व लेखा प्रभाग की लागत लेखा इकाई ने लागत लेखा आंकडों के एकत्रण करने एवं विश्लेषण करने के कार्य जारी रखे । सरकार एवं ए एन आर पी सी द्वारा मांगी गई सूचनाएं समय समय पर प्रस्तुत कीं । विभिन्न क्षेत्रों में रबड़ बागान लगाने की प्रति हेक्टेयर लागत अद्यतन कर दीं। निजी पौधशालाओं द्वारा रोपण सामग्रियों के बिक्री भाव नियंत्रित करने हेतु बोर्ड की अपनी पौधशालाओं में रोपण सामग्रियों की उत्पादन लागत का विस्तृत अध्ययन किया गया ।

वित्त व लेखा प्रभाग ने बिक्री कर एवं कृषि आय कर मामलों के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन किया तथा उचित सलाहें दी गई । त्रिपुरा व कर्नाटक के बडे पैमाने के बागानों एवं केरल के जनजातीय भूमि के बागानों से संबंधित परियोजना रिपोर्ट तैयार कीं तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली का विकास किया और अनुवीक्षा की ।

(iv) इलक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग

विभाग के अन्तर्गत के इलक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग प्रभाग कंप्यूटरीकृत कार्यक्रमों व इसके प्रयोग की देखरेख करते हैं । प्रभाग ने वेतन पंजी, वित्तीय लेखे, साधारण भविष्य निधि लेखे, पेंशनभोगी लेखों की तैयारी, बजट तैयार करने से संबंधित कार्य, नाम सूचि आदि तैयार करने के कार्य किया । बोर्ड के हार्डवेयर/सोफ्टवेयर आवश्यकताओं के प्रापण एवं अनुरक्षण के कार्य प्रभाग करता है ।

XXXXXXX

भाग IX
अनुज्ञापन एवं उत्पाद शुल्क

रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 12 के अनुसार भारत में उत्पादित सारे रबड़ का उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण एवं संग्रह करने का दायित्व रबड़ बोर्ड को सौंपा गया है । एकत्रण लागत घटाकर भारत की समेकित निधि में इस तरह एकत्रित उपकर का जमा करना है । रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 14 के अधीन रबड़ के सभी लेनदेन बोर्ड से जारी अनुज्ञापत्र के अधीन नियंत्रित किये जाते हैं । हरेक अनुज्ञप्तधारी को उनके द्वारा खरीदे और उपयोग किये रबड़ का परिमाण सामयिक विवरणियों के द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत करना है । प्रपत्र-एन में घोषणा से रबड़ का अन्तर्राज्य परिवहन नियंत्रित किया जाता है । विनिर्माताओं/व्यापारियों/प्रक्रमणकर्ताओं द्वारा अनुरक्षित लेखों व रखे गए स्टॉक की सच्चाई की जांच हेतु सामयिक निरीक्षण भी किया जाता है । इन कार्यों का निष्पादन/मॉनीटरिंग रबड़ बोर्ड के अनुज्ञापन एवं उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके निम्न लिखित प्रभाग व कार्यालय हैं ।

I उत्पाद शुल्क प्रभाग

रबड़ के अर्जन हेतु विनिर्माताओं को अनुज्ञप्ति जारी करना, रबड़ के उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण, एकत्रण तथा भारत की समेकित निधि में जमा करना आदि उत्पाद शुल्क प्रभाग के मुख्य कार्य हैं ।

(1) विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्र का वितरण

(क) वर्ष 2001-2002 के लिए अनुज्ञापत्र का वितरण

प्रत्याशित विनिर्माता यूनिटों को नये अनुज्ञापत्र और वर्तमान विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्र का अगले वर्ष हेतु नवीकरण आदि कार्य इसमें सम्मिलित हैं । वर्ष 2001-2002 के दौरान जारी किए अनुज्ञापत्रों का विवरण निम्न प्रकार है ।

जारी किये नये अनुज्ञापत्र	304 सं.
अनुज्ञापत्र का नवीकरण	4773 सं.
कुल	**5077 सं.**

वर्ष के दौरान उनके अनुरोध के अनुसार 11 यूनिटों के अनुज्ञापत्र रद्द किये थे। 31.3.2002 के अंत में कुल अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं की संख्या 5066 थी। 2002 मार्च 31 तक के अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं का राज्यवार विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	एककों की संख्या
01	केरल	906
02	महाराष्ट्र	611
03	पंजाब	539
04	तमिलनाडु	503
05	पश्चिम बंगाल	437
06	उत्तर प्रदेश	439
07	गुजरात	377
08	दिल्ली	242
09	हरियाना	307
10	कर्नाटक	219
11	आन्ध्र प्रदेश	155
12	राजस्थान	99
13	मध्य प्रदेश	86
14	बिहार	28
15	पोंडिच्चेरी	30
16	चन्डीगढ	13
17	गोवा, दाद्रा, नागरहवेली और दमन	31
18	उड़ीसा	13
19	हिमाचल प्रदेश	10
20	जम्मु एवं कश्मीर	8
21	असम	7
22	त्रिपुरा	6
	कुल	**5066**

प्रभाग ने रबड़ बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों, रबड़ व्यापारियों तथा अन्य आम जनता को संदर्भ हेतु अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं की सूची तैयार करके दे दी।

(ख) वर्ष 2002-2003 के लिए अनुज्ञापत्र का नवीकरण

31.3.2002 के अनुसार प्रभाग ने वर्ष 2002-2003 के लिए 2905 विद्यमान विनिर्माताओं के अनुज्ञापत्रों का नवीकरण किया ।

(2) विनिर्माताओं की ओर से एजेंटों/व्यापारियों द्वारा रबड़ की खरीद हेतु प्राधिकृत पत्र का पंजीकरण

वर्ष 2001-02 के दौरान रबड़ खरीदने एवं भेजने के लिए अपने अभिकर्ता व्यापारियों के नाम पर विनिर्माताओं द्वारा दिये 330 प्राधिकृत पत्रों को प्रभाग ने पंजीकृत किया था ।

(3) शाखा/खरीद डिपो का पंजीकरण

विनिर्माताओं से प्राप्त आवेदनों के आधार पर रिपोर्ट वर्ष के दौरान 15 नयी शाखाओं/खरीद डिपो का पंजीकरण किया था ।

(4) रबड़ की खरीद हेतु प्राधिकृत पत्र

अग्रिम उपकर संग्रह करने के बाद प्रायोगिक परीक्षणों के लक्ष्य से रबड़ प्राप्त करने के लिए नियमित अनुज्ञापत्र के स्थान विशेष प्राधिकृत पत्र 17 संगठनों/संस्थाओं को जारी किये थे ।

(5) उत्पाद शुल्क (उपकर) का निर्धारण एवं एकत्रण

वर्ष 2000-2001 के दौरान के 8255.05 लाख रुपये के निर्धारण के स्थान पर वर्ष 2001-02 का रबड़ पर कुल उपकर का निर्धारण 8181.90 लाख रुपये रहा । वर्ष के दौरान विनिर्माताओं से एकत्रित कुल अर्धवार्षिक विवरणियाँ (प्रपत्र 'एम') 10,044 रहीं । इनमें 1,616 "शून्य" विवरणियाँ रहीं । देश के विभिन्न भागों में कार्यरत संपर्क अधिकारियों तथा निरीक्षण कर्मियों ने 1,963 वैयक्तिक निरीक्षण रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनपर उचित कार्रवाई की थी ।

रिपोर्ट अवधि के दौरान एकत्रित रबड़ पर उत्पाद शुल्क (उपकर) 8114 लाख रुपये रहा जबकि वर्ष 2000-2001 में यह 8219.01 लाख रुपये रहा ।

वर्ष 2001-02 के दौरान रबड़ के उपकर, अनुज्ञापत्र शुल्क एवं सेवा प्रभार आदि के तौर पर स्वीकृत सुरक्षा सामग्रियों (डिमांड ड्राफ्ट) की संख्या 9010 रही । सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोट्टयम में भारत की समेकित निधि में जमा तथा क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, चेन्नै के साथ लेखा समाधान पूरा किया गया । वर्ष 2000-2001 की मांग, एकत्रण एवं शेष (डी सी बी) विवरण तैयार किया गया तथा रिपोर्ट अवधि के उपकर एकत्रण के अंतिम लेखे भी तैयार किये ।

कुल अनुज्ञापत्र शुल्क और सेवा प्रभार के तौर पर वर्ष 2001-02 के दौरान 9,22,734/- रु. संग्रहित किये थे । इसके अलावा उपकर के देरी से जमा करने के कारण दंडस्वरूप ब्याज के रूप में 38 लाख रु. की रकम का भी संग्रहण किया था ।

II अनुज्ञापन प्रभाग

कोची स्थित अनुज्ञापन प्रभाग के मुख्य कार्य रबड़ व्यापारियों, प्रक्रमणकर्ताओं का अनुज्ञापन तथा उनकी शाखाओं व अभिकर्ताओं का पंजीकरण, नियमों के पालन न करनेवाले व्यापारियों एवं प्रक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू करना आदि है ।

(i) व्यापारियों के अनुज्ञापन

पिछले वर्ष के अंत में अनुज्ञापत्रित व्यापारियों की संख्या जो 10,482 थी वह मामूली-सी घटकर वर्षांत में 9492 हो गयी । रिपोर्ट अवधि के दौरान 718 नये अनुज्ञापत्र जारी किये तथा 3005 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र का नवीकरण किया गया । इसके अलावा पाँच वर्षों तक की अवधि के लिए 1036 व्यापारियों ने अनुज्ञापत्र का नवीकरण किया गया जिनकी वैधता 1/4/2002 से शुरू होती है ।

(ii) प्रक्रमणकर्ताओं के अनुज्ञापन

31.3.02 के अनुसार 132 अनुज्ञापत्र प्रसंस्करणकर्ता हैं । रिपोर्ट वर्ष के दौरान 16 अनुज्ञापत्रों का नवीकरण किया गया ।

(iii) व्यापारियों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के अनुज्ञापत्रों का निलंबन एवं प्रतिसंहरण

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 184 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र एवं 1 प्रक्रमणकर्ता के अनुज्ञापत्र रद्द किये गये । इसके अलावा रबड़ अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के कारण 12 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र निलंबित किये गये । लेकिन 2 व्यापारियों के अनुज्ञापत्र उनसे संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने से अनुज्ञापत्रों के निलंबन को रद्द किया तथा पुनस्थापित कर दिया ।

(iv) शाखाओं व अभिकरणों का पंजीकरण

वर्ष के दौरान व्यापारियों एवं प्रक्रमणकर्ताओं की 454 नयी शाखाओं का पंजीकरण किया गया जिससे मार्च 2002 के अंत तक कुल पंजीकृत शाखाओं की संख्या बढकर 1034 हो गयी । इसके अलावा वर्ष 2001-02 के दौरान मुख्य व्यापारियों द्वारा उनके अभिकरणों के नाम उनके लिए रबड़ की खरीद करने तथा भेजने हेतु जारी 193 प्राधिकरण पत्रों को पंजीकृत किया गया ।

(v) **प्रपत्र 'एन' की आपूर्ति**

राज्य से बाहर रबड़ के परिवहन हेतु कोची क्षेत्र में विभिन्न बागानों, व्यापारियों, प्रक्रमणकर्ताओं एवं विनिर्माताओं को प्रपत्र 'एन' की 5639 बुकों की आपूर्ति की गई ।

रिपोर्ट वर्ष के दौरान अनुज्ञापत्र शुल्क सेवा प्रभार/रबड़ पर उपकर आदि के रूप में 31,82,626.20 रु. एकत्रित किए ।

(vi) **व्यापारियों का वितरण**

क्रम सं.	राज्य का नाम	व्यापारियों की संख्या
01	केरल	8417
02	आन्ध्र प्रदेश	4
03	असम	23
04	आन्डमान एवं निकोबार	3
05	बिहार	5
06	चंडीगढ़	5
07	दिल्ली	126
08	गोवा	2
09	गुजरात	36
10	हरियाना	39
11	जम्मु एवं कश्मीर	नहीं
12	कर्नाटक	106
13	मध्य प्रदेश	5
14	महाराष्ट्र	93
15	मेघालय	12
16	उड़ीसा	1
17	पंजाब	148
18	राजस्थान	19
19	तमिलनाडु	192
20	त्रिपुरा	105
21	उत्तर प्रदेश	72
22	पश्चिम बंगाल	75
23	पोंडिच्चेरी	3
24	नागालैंड	1
	कुल	**9492**

क) केरल में व्यापारियों का जिलावार वितरण

क्रम सं.	जिला का नाम	व्यापारियों की संख्या
01	आलप्पुषा	132
02	एरणाकुलम	1124
03	इडुक्की	418
04	कण्णूर	395
05	कासरगोड	92
06	कोल्लम	1062
07	कोट्टयम	2308
08	कोषिक्कोड	188
09	मलप्पुरम	385
10	पालक्काड	315
11	पत्तनंतिट्टा	1022
12	तिरुवनन्तपुरम	758
13	त्रृश्शूर	159
14	वयनाड	59
	कुल	**8417**

III बाज़ार आसूचना प्रभाग

झूठे/अनुज्ञापत्रहीन रबड़ व्यापार का पता लगाना, व्यापारियों के व्यापार केन्द्रों में उनके बही खातों व स्टॉक की सच्चाई की जांच के लिए आकस्मिक निरीक्षण/स्क्वाड निरीक्षण तथा व्यापारियों/विनिर्माताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्राप्त बोर्ड को रिपोर्ट किए रबड़ के परिमाण की सत्यता का निर्णय करने के लिये उनके द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत सांविधिक विवरणियों और प्रत्यक्ष स्टॉक की परस्पर जांच, रोड चेकिंग, रबड़ के उपकर अपवंचन रोकने तथा जिससे उपकर संग्रह सुधारने के लिए चेक पोस्ट और रेलवे पार्सल कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण आदि विपणन आसूचना प्रभाग के मुख्य कार्य थे । रबड़ के व्यापार में अनुज्ञापत्र देने के लिए उनके व्यापार केन्द्रों एवं आवेदकों की योग्यता के निर्णय करने के लिए व्यापारियों की शाखाओं का पंजीकरप और नये/अतिरिक्त केन्द्रों का अनुमोदन और क्षेत्रीय लाटक्स संग्रह के लिये विशेष प्राधिकार देना आदि के लिये निरीक्षण चलाये थे ।

1. ***निरीक्षण दल के कार्यकलाप***

1.1 कोषिक्कोड, कोची, कोट्टयम व तिरुवनन्तपुरम से कार्यरत निरीक्षण दलों और पालक्काड, पुनलूर और नागरकोइल के निरीक्षकों (विपणन आसूचना) ने झूठे व्यापार का सामयिक निरोध करने तथा जिससे उपकर संग्रह में वृद्धि करने में बडी सहायता की । कई रबड़ व्यापारियों से मासिक विवरणियाँ संग्रहित करने में भी इन निरीक्षणों ने सहायता की ।

1.2 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दल कई दिन दौरे पर रहे तथा 1784 अनुज्ञापत्रित व्यापारियों एवं 24 गैर अनुज्ञापत्रित व्यापारियों का निरीक्षण किया और कमी/बेहिसाब के स्टॉक/अनियमित बिक्री के बहुत अनियमित मामलों का पता लगाया । दल ने 444 सड़क चेकिंग, चेक पोस्टों का अचानक निरीक्षण व सीमा क्षेत्र का निरीक्षण किया परिमाणतः रबड़ के उपकर के रूप में 15,55,371 रु. का संग्रह किया गया ।

प्रेषकों से प्राप्त प्रपत्र एन घोषणा एवं जाँच चौकियों के बोर्ड पदधारियों से प्राप्त दैनिक रबड़ परिवहन विवरण की संवीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया । जहाँ अनियमित प्रेषण किए गए ऐसे मामलों की समय पर संपर्क अधिकारियों/निरीक्षकों (बा आ दल) को सूचना दे दी ताकि निरीक्षण का प्रबंध किया जा सकें । गंभीर अनियमितताओं के पता चलने के आधार पर नौ व्यापारियों के अनुज्ञापत्र निलंबित कर दिए गए ।

1.3 वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 12/9/2001 द्वारा अधिसूचित निम्नतम मूल्य से कम भाव पर रबड़ खरीदने के संबंध में रबड़ व्यापारियों के विरुद्ध रबड़ कृषकों की शिकायतों पर ध्यान देने हेतु एक अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की संस्थापना की थी । प्रभाग से संबद्ध निरीक्षकों ने बहुत व्यापारियों का निरीक्षण किया और आरोप की सच्चाई के पता लगाने हेतु लेखा बहियों का सत्यापन किया एवं जहाँ कमियाँ पाई गयी, उचित कार्रवाई शुरू की गयी । अधिसूचित निम्नतम भाव से कम भाव में रबड़ खरीदने के लिए 5 रबड़ व्यापारियों के विरुद्ध अभियोजन कदम उठाये गये ।

1.4 व्यापारियों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के व्यापार स्थान में उनके द्वारा रखे गए वास्तविक स्टॉक स्थिति का पता लगाने हेतु निरीक्षण चलाए गए ।

2. चैक पोस्ट/रबड़ का अन्तर्राज्य परिवहन

2.1 रबड़ के अन्तर राज्य परिवहन पर निगरानी को सुशक्त करने के लिए रबड़ परेषण के साथ प्रेषित दस्तावेजों की नियमित जांच केरल के दो स्थानों याने पालक्काड जिला के वालयार, कासरगोड जिला के बेंगरा मंजेश्वरम व तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला के कावलकिणर चेक पोस्टों में की गई ।

2.2 तीन चेक पोस्टों द्वारा बरती गई निगरानी रबड़ के अवैध परिवहन का पता लगाने में सहायक रही । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान वालयार, मंजेश्वरम व कावलकिणर चेक पोस्टों के अधिकारियों ने विभिन्न कारणों से 33 परेषण रोके रखे । इनमें 19 परेषणों को वैध दस्तावेजों/संतोषजनक स्पष्टीकरण की प्रस्तुति पर सीमा पार करने की अनुमति दी गयी एवं 14 परेषण परेषक विश्वासजनक सबूत प्रस्तुत न करने पर उपकर की रकम एवं सुरक्षा जमा के रूप में 9,28,376/- रु. एकत्रित करके मुक्त किये गए । बिक्री कर/पुलिस पदधारियों ने बिना प्रवैध दस्तावेज/संदेहात्मक स्थिति में सीमा पार करने के लिए कोशिश किए रबड़ के 13 परेषण रोक दिए जिनके निपटान/अंतिम निर्णय हेतु संबंधित क्षेत्र के बोर्ड की जांच चौकी पदधारियों/निरीक्षकों (बा आ) ने आवश्यक सभी सहायताएं प्रदान कीं ।

2.3 रिपोर्ट अवधि के दौरान बोर्ड के वालयार मंजेश्वरम एवं कावलकिणर जाँच चौकियों से होकर प्रेषित 38594 परेषण रबड़ के विवरण बोर्ड के इन चौकियों के पदधारियों ने एकत्रित किया । हर चेक पोस्ट होकर पास किए प्रेषण का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	चेकपोस्ट के नाम	परेषणों की संख्या
i)	वालयार	27111
ii)	मंजेश्वरम	6206
iii)	कावलकिणर	5277
	कुल	**38,594**

2.4 वर्ष 2001-2002 के दौरान विभिन्न श्रेणी के 16500 बुक एन घोषणाओं का मुद्रण किया और विभिन्न बागानों, प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों एवं विनिर्माताओं को 12530 एन बुकों की आपूर्ति कीं । बाज़ार आसूचना प्रभाग में 59984 प्रपत्र-एन घोषणाओं की प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुईं जिनमें अधिकतम की संवीक्षा की तथा जहाँ

विसंगतियाँ देखी गयी, वहाँ संबंधित पार्टी से स्पष्टीकरण मांगे गए और उचित कार्रवाई की ।

3. ***मासिक विवरणियों की दुतरफी जांच***

3.1 विभिन्न व्यापारियों/विनिर्माताओं/प्रसंस्करणकर्ताओं/बागानों से प्राप्त मासिक विवरणियों व प्रपत्र-एन घोषणाओं की प्रतिलिपियों की यादृच्छिक दुतरफी जांच की गई एवं 291 मामलों में विसंगतियां पायी गयी । मासिक विवरणियों की दुतरफी जांच के फलस्वरूप कुछ विनिर्माताओं एवं व्यापारियों के कारोबार में विसंगतियाँ पाई गयी। फलतः वर्ष के दौरान अतिरिक्त रूप से रबड़ पर उपकर के रूप में 11,59,152/- रु. की वसूली की गयी ।

3.2 इस तरह बाज़ार आसूचना प्रभाग निरीक्षण दल, जांच चौकी मशीनरी एवं अनुवीक्षा प्रकोष्ठ के प्रयासों के फलस्वरूप 36,42,899/- रु. की रकम वर्ष के दौरान अतिरिक्त रूप से एकत्रित की जा सकी ।

IV उप/संपर्क कार्यालय

रबड़ पर उपकर के संग्रह की प्रगति और विविध मंत्रालयों तथा व्यापार व उद्योग के साथ संपर्क बनाए रखने और व्यापारियों एवं विनिर्माताओं के कारोबार की निगरानी की दृष्टि से बोर्ड केरल के बाहर के प्रमुख उपभोक्ता केन्द्रों में -- याने चेन्नै, बैंगलूर, सेकन्दराबाद, अहम्मदाबाद, कानपुर, मुम्बई, कलकत्ता, जलंधर और नई दिल्ली--नौ उप/संपर्क कार्यालयों का रख रखाव करते हैं । रबड़ के व्यापार में अनुज्ञापत्र देने में या रबड़ माल विनिर्माताओं को रबड़ खरीदने में आवेदकों की योग्यता का निर्धारण इन कार्यालयों का मुख्य कार्य है । अनुज्ञापत्रधारियों के बही खाते एवं अभिलेखाओं का सत्यापन भी सुनिश्चित किया था कि उनके द्वारा प्रापण किये गये सारे रबड़ के उपकर के निर्धारण से संबंधित सारे अभिलेख, बही खाते में ठीक प्रकार दर्ज किये गये हैं । रबड़ अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों के उल्लंघन करके रबड़ व्यापार में लगे बिना अनुज्ञापत्रित लोगों का पता लगाने के लिये आकस्मिक जाँचें की गईं ताकि उपकर के राजस्व हानि को रोका जा सकें।

भाग X
सांख्यिकी एवं योजना

I सामान्य सांख्यिकी

रबड़ की पूर्ति, माँग, स्टॉक तथा मूल्य के आंकडों का नियमित रूप से अनुवीक्षण एवं उनकी बोर्ड एवं सरकार को प्रस्तुति सांख्यिकी एवं योजना विभाग द्वारा अप्रैल 2001 से मार्च 2002 तक की अवधि के दौरान किये गए कार्यकलापों में सम्मिलित हैं । 23.6.2001 तथा 3.11.2001 को संपन्न बोर्ड की बैठकों में तथा 21.4.2001 एवं 15.2.2002 को संपन्न सांख्यिकी एवं आयात निर्यात समिति बैठकों में रबड़ की मांग एवं पूर्ति की स्थिति का सामयिक पुनरीक्षण किया गया । विभाग ने इन बैठकों में चर्चा हेतु स्वाभाविक रबड़ क्षेत्र में विद्यमान स्थिति तथा भविष्य के रुख सांख्यिकीय आंकडे सहित टिप्पणियों की तैयारी की ।

रबड़ उत्पादकों, व्यापारियों, प्रसंस्करणकर्ताओं एवं विनिर्माताओं से प्राप्त सांविधिक विवरणियों का एकत्रण, संकलन एवं विश्लेषण हर महीने किया । छोटे कृषकों के संदर्भ में उत्पादन, स्टॉक आदि में अन्तर के पता लगाने के लिए छोटे जोत क्षेत्र में नमूना अध्ययन जारी रखा । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकडों का संकलन किया गया तथा मासिक आधार पर रबड़ के उत्पादन, उपभोग, आयात एवं स्टॉक आंके गए । "रबड़ स्टाटिस्टिकल न्यूज़" (मासिक) में प्रकाशन हेतु आवश्यक सांख्यिकीय सूचनाओं की तैयारी की । इस प्रकाशन में स्वाभाविक रबड़, कृत्रिम रबड़ एवं सुधारित रबड़ के उत्पादन, उपभोग, स्टॉक, आयात/निर्यात के रुख स्वाभाविक रबड़ का भाव तथा अन्य कई विवरण प्राप्त होते हैं । "इंडियन रबड़ स्टाटिस्टिक्स भाग 25", 2002 के प्रकाशन संबंधी कार्य करीब करीब पूरे हो गए हैं तथा जिसके लिए कार्यालय के ही कंप्यूटर सुविधाएं प्रयुक्त की है। इस प्रकाशन में रबड़ के अधीन क्षेत्र, स्वाभाविक, कृत्रिम एवं सुधारित रबड़ के उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात, भाव आदि, विनिर्माता, व्यापारी, रबड़ के उत्पाद, श्रमिक आदि के आलावा विश्व रबड़ सांख्यिकी की विस्तृत जानकारी है ।

विभाग ने भारत सरकार एवं रबड़ उद्योग से संबद्ध विभिन्न संगठनों को संबंधित सांख्यिकीय सूचना प्रदान की । रबड़ के आयात/निर्यात, उत्पादन, भाव आदि तथा रबड़ उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर संसदीय सवालों एवं विधान सभा सवालों के उत्तर देने हेतु आवश्यक सामग्रियाँ तैयार कीं और प्रस्तुत कीं ।

वर्ष 2001-02 के दौरान देश में प्रसंस्कृत रबड़ के विभिन्न वर्गों के उत्पादन के निर्णय करने के लक्ष्य से सान्द्रीकृत लाटेक्स, ब्लॉक रबड़, पी एल सी के संसाधकों एवं क्रीप मिलों से उनकी

वार्षिक रिपोर्ट संग्रहित की थी । अंतिम उत्पादों के आधार पर रबड़ के उपभोग आंकने उपभोग के अनुसार विनिर्माताओं के वर्गीकरण एवं स्वाभाविक रबड़, एस आर, आर आर आदि के राज्यवार उपभोग की जानकारी हेतु रबड़ उद्योग के विनिर्माताओं से वर्ष 2001-02 की वार्षिक विवरणियाँ एकत्रित की थीं ।

1988 में शुरू किये गए गणना कार्य रिपोर्ट अवधि में भी जारी रखा था । स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक प्रयुक्त करके चयनित तथा प्रादेशिक कार्यालय स्तर पर भर्ती किए 169 गणनाकारों की मदद से केरल के 82 गॉवों में गणना कार्य चलाया गया । विभाग ने गणना कार्य का संयोजन किया एवं निगरानी की । गणनाकारों के चयन, प्रशिक्षण एवं कार्य निर्दिष्टीकरण में विभाग के तकनीकी अधिकारियों ने क्षेत्रीय पदधारियों की सहायता कीं ।

II योजना

स्वाभाविक रबड़ पर वर्ष 2002-07 के 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव तैयार किए तथा अनुमोदनार्थ सरकार को प्रस्तुत किए । इसके अलावा रबड़ पर वार्षिक योजना प्रस्ताव भी तैयार किये । बोर्ड की उपलब्धियों पर व्यापक टिप्पणी एवं रबड़ बागान उद्योग की पुनरीक्षा तैयार की तथा प्रस्तुत कीं ।

वर्ष 2001-02 की कार्रवाई योजना तैयार की और तिमाही पुनरीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से तैयार की और प्रस्तुत की ।

III विश्व संगठनों को सूचना का प्रदान

भारत में स्वाभाविक रबड़ उद्योग के संबंध में एसोसिएशन ऑफ नाचुरल रबड़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ (ए एन आर पी सी), कुलालंपुर, मलेशिया एवं अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन ग्रूप (आई आर एस जी), लंडन जैसे विश्व संगठनों को सूचना प्रदान करना जारी रखा ।

भारत सरकार की तरफ से रबड़ बोर्ड अध्यक्ष ने ग्लासगो, स्कोटलैंड, यू के में फरवरी 2002 में आई आर एस जी की 103 वीं ग्रूप बैठक एवं अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ फोरम में भाग लिया ।

xxxxxx

भाग X
सांख्यिकी एवं योजना

I सामान्य सांख्यिकी

रबड़ की पूर्ति, माँग, स्टॉक तथा मूल्य के आंकडों का नियमित रूप से अनुवीक्षण एवं उनकी बोर्ड एवं सरकार को प्रस्तुति सांख्यिकी एवं योजना विभाग द्वारा अप्रैल 2001 से मार्च 2002 तक की अवधि के दौरान किये गए कार्यकलापों में सम्मिलित हैं । 23.6.2001 तथा 3.11.2001 को संपन्न बोर्ड की बैठकों में तथा 21.4.2001 एवं 15.2.2002 को संपन्न सांख्यिकी एवं आयात निर्यात समिति बैठकों में रबड़ की मांग एवं पूर्ति की स्थिति का सामयिक पुनरीक्षण किया गया । विभाग ने इन बैठकों में चर्चा हेतु स्वाभाविक रबड़ क्षेत्र में विद्यमान स्थिति तथा भविष्य के रुख सांख्यिकीय आंकडे सहित टिप्पणियों की तैयारी की ।

रबड़ उत्पादकों, व्यापारियों, प्रसंस्करणकर्ताओं एवं विनिर्माताओं से प्राप्त सांविधिक विवरणियों का एकत्रण, संकलन एवं विश्लेषण हर महीने किया । छोटे कृषकों के संदर्भ में उत्पादन, स्टॉक आदि में अन्तर के पता लगाने के लिए छोटे जोत क्षेत्र में नमूना अध्ययन जारी रखा । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकडों का संकलन किया गया तथा मासिक आधार पर रबड़ के उत्पादन, उपभोग, आयात एवं स्टॉक आंके गए । "रबड़ स्टाटिस्टिकल न्यूज़" (मासिक) में प्रकाशन हेतु आवश्यक सांख्यिकीय सूचनाओं की तैयारी की । इस प्रकाशन में स्वाभाविक रबड़, कृत्रिम रबड़ एवं सुधारित रबड़ के उत्पादन, उपभोग, स्टॉक, आयात/निर्यात के रुख स्वाभाविक रबड़ का भाव तथा अन्य कई विवरण प्राप्त होते हैं । "इंडियन रबड़ स्टाटिस्टिक्स भाग 25", 2002 के प्रकाशन संबंधी कार्य करीब करीब पूरे हो गए हैं तथा जिसके लिए कार्यालय के ही कंप्यूटर सुविधाएं प्रयुक्त की है। इस प्रकाशन में रबड़ के अधीन क्षेत्र, स्वाभाविक, कृत्रिम एवं सुधारित रबड़ के उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात, भाव आदि, विनिर्माता, व्यापारी, रबड़ के उत्पाद, श्रमिक आदि के आलावा विश्व रबड़ सांख्यिकी की विस्तृत जानकारी है ।

विभाग ने भारत सरकार एवं रबड़ उद्योग से संबद्ध विभिन्न संगठनों को संबंधित सांख्यिकीय सूचना प्रदान की । रबड़ के आयात/निर्यात, उत्पादन, भाव आदि तथा रबड़ उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर संसदीय सवालों एवं विधान सभा सवालों के उत्तर देने हेतु आवश्यक सामग्रियाँ तैयार कीं और प्रस्तुत कीं ।

वर्ष 2001-02 के दौरान देश में प्रसंस्कृत रबड़ के विभिन्न वर्गों के उत्पादन के निर्णय करने के लक्ष्य से सान्द्रीकृत लाटेक्स, ब्लॉक रबड़, पी एल सी के संसाधकों एवं क्रीप मिलों से उनकी

वार्षिक रिपोर्ट संग्रहित की थी । अंतिम उत्पादों के आधार पर रबड़ के उपभोग आंकने उपभोग के अनुसार विनिर्माताओं के वर्गीकरण एवं स्वाभाविक रबड़, एस आर, आर आर आदि के राज्यवार उपभोग की जानकारी हेतु रबड़ उद्योग के विनिर्माताओं से वर्ष 2001-02 की वार्षिक विवरणियाँ एकत्रित की थीं ।

1988 में शुरू किये गए गणना कार्य रिपोर्ट अवधि में भी जारी रखा था । स्तरित यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक प्रयुक्त करके चयनित तथा प्रादेशिक कार्यालय स्तर पर भर्ती किए 169 गणनाकारों की मदद से केरल के 82 गॉवों में गणना कार्य चलाया गया । विभाग ने गणना कार्य का संयोजन किया एवं निगरानी की । गणनाकारों के चयन, प्रशिक्षण एवं कार्य निर्दिष्टीकरण में विभाग के तकनीकी अधिकारियों ने क्षेत्रीय पदधारियों की सहायता कीं ।

II योजना

स्वाभाविक रबड़ पर वर्ष 2002-07 के 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्ताव तैयार किए तथा अनुमोदनार्थ सरकार को प्रस्तुत किए । इसके अलावा रबड़ पर वार्षिक योजना प्रस्ताव भी तैयार किये । बोर्ड की उपलब्धियों पर व्यापक टिप्पणी एवं रबड़ बागान उद्योग की पुनरीक्षा तैयार की तथा प्रस्तुत कीं ।

वर्ष 2001-02 की कार्रवाई योजना तैयार की और तिमाही पुनरीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से तैयार की और प्रस्तुत की ।

III विश्व संगठनों को सूचना का प्रदान

भारत में स्वाभाविक रबड़ उद्योग के संबंध में एसोसिएशन ऑफ नाचुरल रबड़ प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ (ए एन आर पी सी), कुलालंपुर, मलेशिया एवं अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन ग्रूप (आई आर एस जी), लंडन जैसे विश्व संगठनों को सूचना प्रदान करना जारी रखा ।

भारत सरकार की तरफ से रबड़ बोर्ड अध्यक्ष ने ग्लासगो, स्कोटलैंड, यू के में फरवरी 2002 में आई आर एस जी की 103 वीं ग्रूप बैठक एवं अन्तर्राष्ट्रीय रबड़ फोरम में भाग लिया ।

xxxxxx

भाग - XI
सांख्यिकीय सारणियाँ

सारणी - 1

प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन, आयात, निर्यात एवं उपभोग

(टण)

महीना		उत्पादन	आयात*	निर्यात	उपभोग (देशी एवं आयातित)
अप्रैल	2001	40035	162	32	52875
मई	,,	43350	843	52	54505
जून	,,	39175	1298	226	55010
जुलाई	,,	43490	2992	0	52655
अगस्त	,,	51485	7488	0	50820
सितंबर	,,	56450	8767	164	51010
अक्तूबर	,,	62450	3955	122	51335
नवंबर	,,	75525	5406	228	53150
दिसंबर	,,	79410	6225	266	54425
जनवरी	2002	73030	6437	857	54950
फरवरी	,,	31855	3900	1665	53045
मार्च	,,	35145	2117	3383	54430
योग		**631400**	**49590**	**6995**	**638210**

*स्रोतः वाणिज्यक सूचना एवं सांख्यिकी महा निदेशालय, कोलकत्ता

सारणी - 2

हर महीने के अन्त में प्राकृतिक रबड़ का स्टोक
(टण)

महीना		उत्पादक, व्यापारी एवं संसाधक	विनिर्माता	योग
अप्रैल	2001	133700	37490	171190
मई	"	122530	38300	160830
जून	"	106740	36575	143315
जुलाई	"	105425	31115	136540
अगस्त	"	106195	35520	141715
सितंबर	"	115715	37320	153035
अक्तूबर	"	133010	34580	167590
नवंबर	"	158425	36435	194860
दिसंबर	"	181615	43885	225500
जनवरी	2002	196840	51150	247990
फरवरी	"	172160	56875	229035
मार्च	"	133490	59580	193070

सारणी - 3

कृत्रिम रबड़ के उत्पादन, आयात, एवं उपभोग

(टण)

महीना	उत्पादन*	आयात**	उपभोग
अप्रैल 2001	5296	9109	14060
मई ”	5218	7290	14115
जून ”	5478	7134	14510
जुलाई ”	5199	13645	14350
अगस्त ”	5568	8203	14255
सितंबर ”	5536	8485	13890
अक्तूबर ”	6660	8477	14745
नवंबर ”	5846	9823	14510
दिसंबर ”	6267	8944	14805
जनवरी 2002	5880	10170	15210
फरवरी ”	5975	9593	14830
मार्च ”	6730	10450	15250
योग	**69653**	**111323**	**174530**

* अस्थायी

**स्रोतः वाणिज्यक सूचना एवं सांख्यिकी महा निदेशालय, कोलकत्ता

सारणी - 4

संसाधित रबड़ के उत्पादन एवं उपभोग

(टण)

महीना		उत्पादन*	उपभोग
अप्रैल	2001	5315	5440
मई	"	5145	5175
जून	"	5275	5240
जुलाई	"	5425	5465
अगस्त	"	5395	5405
सितंबर	"	5325	5370
अक्तूबर	"	5405	5455
नवंबर	"	5350	5385
दिसंबर	"	5370	5405
जनवरी	2002	5320	5365
फरवरी	"	5105	5060
मार्च	"	5120	5110
योग		**63550**	**63875**

*विनिर्माताओं द्वारा देशी क्रय

सारणी - 5

भारत में प्राकृतिक रबड़ के विविध वर्गों के मासिक औसत भाव

(रु./क्विन्टल)

महीना	आर एस एस 1	आर एस एस 2	आर एस एस 3	आर एस एस 4	आर एस एस 5	आई एस एन आर-5	आई एस एन आर-10	आई एस एन आर-20	आई एस एन आर-50
अप्रैल 2001	3037	2937	2824	2679	2614	2880	2680	2519	2477
मई ,,	3674	3574	3443	3295	3117	3423	3223	2975	2883
जून ,,	3769	3669	3523	3353	3158	3465	3312	2998	2881
जुलाई ,,	3787	3688	3550	3389	3237	3427	3277	2920	2827
अगस्त ,,	3956	3848	3736	3601	3347	3468	3318	2995	2836
सितंबर ,,	3578	3465	3309	3154	3019	3315	3165	2768	2689
अक्तूबर ,,	3537	3437	3301	3209	3079	3317	3177	2850	2700
नवंबर ,,	3478	3368	3281	3209	3079	3198	3092	2774	2614
दिसंबर ,,	3415	3300	3250	3209	3079	2910	2727	2511	2390
जनवरी 2002	3435	3340	3267	3209	3079	2923	2740	2648	2462
फरवरी ,,	3494	3394	3294	3209	3079	3108	3008	2898	2696
मार्च ,,	3535	3435	3335	3214	3079	3183	3083	2968	2696
वार्षिक औसत	**3558**	**3455**	**3343**	**3228**	**3081**	**3218**	**3067**	**2819**	**2679**

सारणी - 6

कुलालमपुर बाज़ार में प्राकृतिक रबड़ के विविध वर्गों के मासिक औसत भाव

(रु./क्विन्टल)

महीना	आर एस एस 1	आर एस एस 2	आर एस एस 3	आर एस एस 4	आर एस एस 5	एस एम आर-5	एस एम आर-10	एस एम आर-20
अप्रैव 2001	2875	2739	2721	2590	2528	2695	2617	2592
मई ”	2977	2852	2833	2702	2640	2734	2687	2662
जून ”	3027	2918	2899	2768	2705	2713	2656	2632
जुवाई ”	2910	2802	2783	2652	2589	2621	2531	2506
अगस्त ”	2844	2759	2740	2609	2546	2652	2586	2561
सितंबल ”	2731	2668	2649	2517	2454	2505	2461	2436
अक्तूबल ”	2708	2663	2644	2510	2446	2511	2457	2431
नवंबल ”	2689	2664	2645	2511	2447	2569	2494	2468
दिसंबल ”	2523	2494	2475	2341	2278	2498	2414	2389
जनवली 2002	2805	2778	2759	2624	2560	2712	2667	2641
फब्रवली ”	3083	3057	3038	2902	2838	2974	2908	2882
मार्च	3390	3347	3327	3192	3127	3336	3304	3278
वार्षिक औसत	**2880**	**2812**	**2793**	**2660**	**2597**	**2710**	**2649**	**2623**

31.03.2002 के अनुसार रबड़ बोर्ड के सदस्यों की सूची

1.	श्री एस मरिया डसलफिन आई ए एस	अध्यक्ष, रबड़ बोर्ड
2.	श्री जवहर लाल जयसवाल सदस्य, लोक सभा	धारा 4(3)(ङ) के अधीन संसद सदस्य
3.	श्री शशिकुमार सदस्य, लोक सभा	वही
4.	श्री रामचन्द्र खुंडिया सदस्य, राज्य सभा	वही
5.	कृषि उत्पाद आयुक्त, केरल सरकार, कृषि विभाग, सचिवालय, तिरुवनन्तपुरम	नियम 3 के उप नियम (3) के अधीन केरल सरकार का प्रतिनिधि
6.	अध्यक्ष प्लान्टेशन कोरपोरेशन ऑफ केरल लि. कोट्टयम	वही
7.	सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग तमिलनाडु सरकार चेन्नै	नियम 3 के उप नियम (2) के अधीन तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधि
8.	श्री के जेकब तोमस प्रबंध निदेशक मे.वाणियंपारा रबड़ कंपनी लि. वाव्क्काला भवन, के.के रोड कोट्टयम	नियम 3 के उप नियम (3) के अधीन केरल राज्य के बडे कृवकों का प्रतिनिधि

9.	श्री एम डी जोसफ माण्णपरंपिल, कांजिरप्पल्ली केरल	वही
10.	श्री ई टी वर्गीस अध्यक्ष इंडियन रबड़ डीलेर्स फेडरेशन रबड़ भवन, कोडिमता कोट्टयम	नियम 3 के उप नियम (4) के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधि
11.	श्री ए जेकब वेलिमला रबड़ कंपनी लि. उप्पूट्टल भवन, के.के.रोड कोट्टयम	नियम 3 के उप नियम (2) के अधीन तमिलनाडु राज्य के बडे कृषकों का प्रतिनिधि
12.	श्री सुरेश एलवाधी प्रबंध निदेशक एलवाधी रबड़ प्रोडक्टस नई दिल्ली एवं उपाध्यक्ष ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ रबड़ प्रोडक्ट्स मानुफैक्चेरर्स एवं सदस्य, मैनेजमेंट काम्मटि, ए आई आर आई ए	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन रबड़ माल निर्माताओं का प्रतिनिधि
13.	श्री सी अनन्तकृष्णन महा सचिव कन्याकुमारी जिला रबड़ एस्टेट वर्केर्स यूनियन आई एन टी यू सी, नागाकोड, कुलशेखरम	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन श्रमिक हित का प्रतिनिधि
14.	श्री के जी रवी महा सचिव केरला कर्षका कॉंग्रेस तिरुवनन्तपुरम	नियम 3 के उप नियम (3) के अधीन केरल राज्य के छोटे कृषकों का प्रतिनिधि

15.	श्री पी लालाजी बाबु महा सचिव ऑल इंडिया प्लान्टेशन वर्केर्स फेडरेशन कोल्लम जिला	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन श्रमिक हित का प्रतिनिधि
16.	श्री कानम राजेन्द्रन सचिव केरल स्टेट कम्मिटि ऑफ ए आई टी यू सी तिरुवनन्तपुरम	वही
17.	श्री एट्टुमानूर वी राधाकृष्णन वालयिल हाउस एट्टुमानूर कोट्टयम जिला	नियम 3 के उप नियम (4) के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधि
18.	श्री पी बी सत्यन प्लावडा कोच्चुवीडु दक्षिण वाऴक्कुलम पोस्ट आलुवा - 5 केरल	नियम 3 के उप नियम (3) के अधीन केरल राज्य के छोटे कृषकों का प्रतिनिधि
19.	श्री सी के सजी नारायणन 'गायत्री' 11/6, लिंक रोड, अय्यन्तोल, तृश्शूर - 680 003	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन श्रमिक हित का प्रतिनिधि
20.	श्रीमती रमा रघुनन्दन 'स्मृति', अक्किक्कावु पी.ओ चावक्काड, तृश्शूर जिला केरल	नियम 3 के उप नियम (4) के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधि
21.	श्री वी वी अगस्टिन वलवनतुरुत्तेल इडप्पल्ली पी.ओ, कोचिन	धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन रबड़ माल निर्माताओं का प्रतिनिधि

22.	श्री पी.आर.मुरलीधरन पतालिल हाउस एस एन पुरम पोस्ट, कोट्टयम केरल	नियम 3 के उप नियम (3) के अधीन केरल राज्य के छोटे कृषकों का प्रतिनिधि
23.	श्री जोसफ वाषक्कन वाषक्कामलयिल रामपुरम कोट्टयम	नियम 3 के उप नियम (4) के अधीन अन्य हितों का प्रतिनिधि
24.	रिक्त	नियम 3 के उप नियम (3) के अधीन केरल राज्य के बडे कृषकों का प्रतिनिधि
25.	डॉ ए के कृष्णकुमार रबड़ उत्पादन आयुक्त रबड़ बोर्ड, कोट्टयम	पदेन
26.	कार्यकारी निदेशक	रिक्त

¤¤¤¤¤¤¤